



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2018-2019

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई, July, 2018

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2018-2019.

Subject : First batch of Supplementary Demands for Grants, 2018-2019.

वर्ष 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 65 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹11,697.92 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹5,951.22 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹5,745.68 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹102 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19 includes 65 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹11,697.92 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹5,951.22 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹5,745.68 crore. Besides, token provision of ₹102 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(i) परम्परागत कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत आदर्श जैविक खेती (₹18 करोड़) और (ii) फसल अवशिष्टों के यथावत प्रबंधन हेतु कृषि तंत्र के संवर्धन की स्कीम (₹591.62 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त (1) सामान्य सहायता अनुदान तथा (2) ब्याज वित्तीय देयता को पूरा करने के लिए एमआईएस/पीएसएस के अंतर्गत अतिरिक्त राजसहायता के लिए (₹1200 करोड़)	For providing additional 1. Grants-in-aid General (i) for model organic farming under the scheme of Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹18 crore) and (ii) under the scheme for Promotion of Agricultural Mechanisation for In-situ Management of Crop Residues (₹591.62 crore) and 2. Subsidies under MIS/PSS to meet interest financing liability (₹1,200 crore).	1,791.62	-	1,791.62
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
(i) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और (ii) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹30 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹2 crore) and (ii) Advertisement and Publicity under the scheme Information, Education and Communication (IEC) (₹30 crore).	30.00	-	30.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए सब्सिडी की शेष राशि उपलब्ध कराने के लिए।	For providing balance amount of subsidy for Assam Gas Cracker Project.	200.00	-	200.00
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
अधिकतम खुदरा मूल्यों की औचित्यता का मूल्यांकन करने के लिए कार्यरत लागत लेखाकारों को भुगतान	For meeting expenditure towards Professional Services to make payments to			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करने के लिए व्यावसायिक सेवाएं तथा संचलन योजना के लिए परिवहन मॉडल के विकास के लिए राइट्स हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Cost Accountants engaged to assess the reasonableness of MRPs and RITES for development of Transport Model for movement plan.	2.00	-	2.00
वाणिज्य मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE			
11 वाणिज्य मंत्रालय	11 Ministry of Commerce			
(i) शुल्क वापसी स्कीम/सीएसटी की लम्बित देयताओं के भुगतान के लिए सब्सिडी (₹683.39 करोड़) और (ii) व्यापार आदि करने की सरलता में सुधार लाने के लिए चैंपियन सेवा सेक्टर (₹100 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting the additional expenditure towards (i) Subsidies (₹683.39 crore) for payment of pending liabilities of Duty Drawback Scheme/CST and (ii) Champion Services Sector for improving ease of doing business, etc. (₹100 crore).	500.00	-	500.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
ग्रामीण डाक सेवाओं को संशोधित समय संबंध निरंतर भत्ता (टीआरसीए) की बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards payment of arrears of revised Time Related Continuity Allowance (TRCA) to Gramin Dak Sewaks.	600.00	-	600.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम)	32 Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)			
(i) विज्ञापन एवं प्रचार (₹19.56 करोड़) (ii) लघु कार्य (₹2.50 करोड़) और (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹7.59 करोड़) के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	For establishment related expenditure - (i) Advertisement and Publicity (₹19.56 crore) (ii) Minor Works (₹2.50 crore) and (iii) Professional Services (₹7.59 crore).	27.15	-	27.15
36 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	36 Indian Audit and Accounts Department			
अमरावती में कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश को पट्टा प्रभारों के भुगतान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards payment of lease charges to Andhra Pradesh for construction of office buildings and residential colony at Amravati.	14.00	-	14.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
47 मंत्रिमंडल	47 Cabinet			
(क) वीएसएनएल और एयर इंडिया को 'अन्य प्रभारों' के अन्तर्गत प्रतिबद्ध और प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the committed and anticipated expenditure under 'other charges' to VSNL and Air India.	150.00	-	150.00
(ख) अंतरिक्ष अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on space infrastructure.	-	715.89	715.89
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
49 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद (पीबीएमसी) को चुंगी से प्राप्त राजस्व की हानि की वजह से कर्मचारियों के लिए वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards salaries, wages, pension etc. for the employees due to loss of revenue of the Port Blair Municipal Council (PBMC) from octroi.	86.00	-	86.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73 योजना मंत्रालय	73 Ministry of Planning			
(i) सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹18.90 करोड़) (ii) विज्ञान	For meeting expenditure towards (i) 'Other Administrative Expenses' for organizing			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भवन तथा नीति भवन के नवीकरण/अनुसूक्षण संबंधी कार्य के लिए "लघु कार्य" (₹12.21 करोड़) (iii) साथ-ई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपाय भागीदारों को भुगतानों और एसईक्यूआई में अभिकरणों के कार्य विस्तार हेतु भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹14.73 करोड़) और (iv) विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए क्षमता का सुदृढीकरण (₹0.04 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Summit and EXPO (₹18.90 crore) (ii) 'Minor Works' for the work related to renovation/maintenance of Vigyan Bhawan and NITI Bhawan (₹12.21 crore) (iii) Professional Services for payments to the intervention partners from implementation of Project SATH-E and payments towards the extended work of agencies in SEQI (₹14.73 crore) and (iv) Grants-in-aid General for 'Strengthening Capacities for Decentralized Planning' (₹0.04 crore).	20.90	-	20.90
राष्ट्रपति, संसद, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग तथा उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
76 लोक सभा (क) संसद सदस्य अधिनियम, 1954 में वेतन, भत्तों एवं पेंशन में संशोधन के अनुसार माननीय सभापति और उपसभापति के वृद्धित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए। (ख) संसद सदस्य अधिनियम, 1954 में वेतन, भत्तों एवं पेंशन में संशोधन के अनुसार संसद सदस्यों के वृद्धित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए।	76 Lok Sabha (a) For payment of enhanced salary and allowances of Hon'ble Speaker and Deputy Speaker as per amendment in Salary, Allowances and Pension to MPs Act, 1954. (b) For payment of enhanced salary and allowances to MPs of Lok Sabha as per amendment in Salary, Allowances and Pension to MPs Act, 1954.	0.10 20.00	- -	0.10 20.00
77 राज्य सभा (क) माननीय सभापति, राज्य सभा के वृद्धित वेतन तथा माननीय उपसभापति, राज्य सभा के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से आहरित अग्रिम (₹0.74 करोड़) की प्रतिपूर्ति के लिए (₹1.13 करोड़)। (ख) (i) माननीय नेता विपक्ष, राज्य सभा और सदस्य, राज्य सभा के वृद्धित वेतन पर (₹23.84 करोड़) तथा (ii) भारत का दौरा करने वाले विदेशी संसद के उच्च सदन के प्रतिनिधिमंडलों के लिए (₹0.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	77 Rajya Sabha (a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India (₹0.74 crore) for payment on enhanced salary of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha and Salary & Allowances of Hon'ble Dy. Chairman, Rajya Sabha (₹1.13 crore). (b) For meeting additional expenditure (i) on enhanced Salary of Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha and Members, Rajya Sabha (₹23.84 crore) and (ii) for delegations of the Upper Houses of Foreign Parliament visiting India (₹0.20 crore).	1.13 23.84	- -	1.13 23.84
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87 पोत परिवहन मंत्रालय जल मार्ग विकास परियोजना (ईएपी घटक) के अंतर्गत वाराणसी और साहिबगंज में आधुनिक भाड़ा ग्राम विकसित करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	87 Ministry of Shipping For providing Grants for Creation of Capital Assets for developing modern Freight Village at Varanasi and Sahibganj under Jal Marg Vikas Project (EAP Component).	218.59	-	218.59
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89 सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग (i) पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (₹10 करोड़) और कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (₹50 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ट	89 Department of Social Justice and Empowerment For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹30 crore), National Overseas Scholarship for OBCs (₹10 crore) and Self-Employment Scheme for Rehabilitation of			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
श्रेणी की शिक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹30 करोड़) (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्कीम के अन्तर्गत नई व्यावसायिक सेवा (₹3 करोड़)।	Manual Scavengers (₹50 crore) (ii) Scholarship/stipend under the scheme Top Class Education for SCs (₹30 crore) (iii) New Professional Services under the scheme National Commission for Scheduled Castes (₹3 crore).	50.00	-	50.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94 वस्त्र मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
राज्य स्तर की स्कीम की छूट के अन्तर्गत अन्य शुल्कों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Other Charges under Remission of State Levies (RoSL) Scheme.	1,500.00	-	1,500.00
कुल नकद खर्च	Total Cash Outgo	5,235.33	715.89	5,951.22

3. अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बैच में ₹5,745.68 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनका मिलान मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा पिछली बचतों से किया जाता है, ये मदें इस प्रकार हैं:

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 5,745.68 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुदान की तकनीकी पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for Grants			
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
कायाकल्प योजना के अंतर्गत एयर इंडिया में इक्विटी का निवेश।	For infusion of equity in Air India under Turn Around Plan.	-	980.00	980.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
14 दूर-संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
भोपाल, नागपुर और जम्मू एवं कश्मीर सर्कल में रेडियो पेजिंग सेवाओं से संबंधित मैसर्स नीदर लैण्ड भारत संचार उद्यम द्वारा दायर की गई प्रवर्तन याचिका के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को पूरा करने के लिए (₹78.82 करोड़) का भुगतान जिसमें भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है (₹25.97 करोड़)।	For payment in satisfaction of an award given by High Court Delhi against enforcement petition filed by M/s Netherland India Communication Enterprises limited related to Radio Paging services in Bhopal, Nagpur and Jammu & Kashmir circles (₹78.82 crore) including recoupment of advance (₹25.97 crore) drawn from Contingency Fund of India.	78.82	-	78.82
उपभोक्ता मामलों मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
इनके लिए निधि प्रदान करने के लिए (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के एकीकृत प्रबन्धन के अन्तर्गत महाराष्ट्र की राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और पेनल ब्याज और आयकर देयता के भुगतान के लिए हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम को सामान्य सहायता अनुदान (₹143.57 करोड़) (ii) चीनी मिलों में सहायता योजना के अन्तर्गत सब्सिडी (₹500 करोड़) और और चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रख-रखाव में सहायता योजना के अंतर्गत सब्सिडी (₹500 करोड़) (iii) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम से संबंधित ऋण व ब्याज माफ करना (₹463.31 करोड़)।	For providing (i) Grants-in-aid General to State Government of Maharashtra under Integrated management of Public Distribution System Scheme (₹2 crore) and to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and Income Tax liability (₹143.57 crore) (ii) Subsidy under the schemes for Assistance to Sugar Mills (₹500 crore) and Creation & Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹500 crore) and (iii) waiver of loan and interest in respect of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹463.31 crore).	463.31	-	463.31

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रमुख कार्यों के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए (i) कला संस्कृति विकास योजना (₹20 करोड़) राष्ट्रीय पुस्तकालय (₹4.28 करोड़) (iii) राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा (₹11.30 करोड़) और (iv) संग्रहालयों के विकास के अन्तर्गत भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय (₹150 करोड़)।	For meeting expenditure towards Major Works under the schemes (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹20 crore) (ii) National Library (₹4.28 crore) (iii) National Gallery of Modern Arts (₹11.30 crore) and (iv) Museum on Prime Ministers of India (₹150 crore) under Development of Museums.	-	150.00	150.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (विविध)	19 Ministry of Defence (Misc)			
सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के लिए ₹1,157.84 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure of ₹1,157.84 crore towards salary and allowances in respect of employees of Border Roads Organisation.	1,057.84	-	1,057.84
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
इनके लिए निधि प्रदान करने के लिए (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नरकोर्म परियोजना को बढ़ावा देने के लिए (₹48 करोड़) और विज्ञापन और प्रचार, प्रकाशन और सूचना तथा सार्वजनिक संबंध (₹15 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नरकोर्म परियोजना का विस्तार करने के लिए पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए (₹12 करोड़) और पूर्वोत्तर परिषद योजना के लिए (₹50 करोड़) के लिए अनुदान और (iii) पूर्वोत्तर परिषद योजना के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त निधि (₹5 करोड़)।	For providing (i) Grants-in-aid General for augmentation of NERCORM project in North Eastern Region (₹48 crore) and Advertisement and Publicity, Publications and Information and Public Relations (₹15 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assts for augmentation of NERCORM project in North Eastern Region (₹12 crore) and schemes of North Eastern Council (₹50 crore) and (iii) additional fund under the heads Other Administrative Expenses (₹5 crore) under the scheme North Eastern Council.	110.00	-	110.00
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26 इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
इनके व्यय को पूरा करने के लिए (1) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'अन्य प्रभार' (i) सामान्य घटक (₹401.78 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति घटक (₹21 करोड़) और (iii) अनुसूचित जनजाति घटक (₹33 करोड़)। (2) 'इलेक्ट्रॉनिक और आईटीएचडब्ल्यू विनिर्माण को बढ़ावा' देने के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़)।	For meeting expenditure towards 1. 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments (i) General Component (₹401.78 crore) (ii) Scheduled Caste Component (₹21 crore) and (iii) Scheduled Tribe Component (₹33 crore) 2. Grants in aid General under 'Promotion of Electronics and IT hardware manufacturing' (₹50 crore).	200.00	-	200.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
राष्ट्रीय प्राधिकरण स्कीम के अन्तर्गत वेतन, डीटीई, सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए। इसे राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण से पूरा किया जाएगा।	For meeting expenditure towards Salary, DTE, Grants-in-aid General under the scheme National Authority to be financed from National Compensatory Afforestation Fund.	50.00	-	50.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28 विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
इनके लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) अफगानिस्तान को सहायता (₹75 करोड़) (ii) मारीशस को सहायता- (₹175 करोड़) (iii) भूटान को सहायता - मंगधेचू जल विद्युत परियोजना जो पूरी होने को है का विस्तार करना (₹87 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Aid to Afghanistan (₹75 crore) (ii) Aid to Mauritius (₹175 crore) (iii) Aid to Bhutan - Enhancement for Manghdhechu Hydro Electric Project which is nearing completion (₹87 crore).	250.00	-	250.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की भागीदारी की अधिग्रहण लागत की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For additional requirement towards acquisition cost of Reserve Bank of India's stake in NABARD.	-	20.00	20.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46 गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
जोधपुर के निरुद्ध व्यक्तियों को मुआवजे देने के लिए जिला न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए।	For implementation of District Court Order in respect of payment of compensation to detainees from Jodhpur.	2.17	-	2.17
48 पुलिस	48 Police			
(क) महिला सुरक्षा प्रभाग के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए डीएनए किट (₹5.71 करोड़) (ii) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि चिकित्सा शास्त्र संस्थान द्वारा 1000 डाक्टरों का प्रशिक्षण (₹1.38 करोड़) (iii) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन संबंधी प्रशासनिक व्यय (₹0.50 करोड़) और (iv) चण्डीगढ़ में सीएफएसएल में आधुनिकतम फॉरेन्सिक डीएनए लैब के लिए प्रशासनिक व्यय (₹19.62 करोड़)।	(a) For meeting expenditure of Women Safety Division for (i) DNA Kits for training by Bureau of Police Research and Development (₹5.71 crore) (ii) training of 1,000 doctors by National Institute of Criminology and Forensic Sciences (NICFS) (₹1.38 crore) (iii) Administrative Expenses on National Mission for Safety of Women (₹0.50 crore) and (iv) Administrative expenditure for State of the art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh (₹19.62 crore).	27.21	-	27.21
(ख) इनमें व्यय को पूरा करने के लिए (i) पांच शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना (₹439.10 करोड़) और (ii) चार राज्यों में आधुनिकतम फॉरेन्सिक साइंस लैब (₹50 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) Safe City projects in five cities (₹439.10 crore) and (ii) Strengthening of State Forensic Science Labs of four States (₹50 crore).	489.10	-	489.10
(ग) सीएफएसएल, चण्डीगढ़ में आधुनिकतम फॉरेन्सिक डीएनए लैब स्थापित करने के लिए।	(c) For setting up of state of art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh.	-	25.64	25.64
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
मशीनरी एवं उपकरणों के अन्तर्गत सीबीआई के लंबित भुगतानों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards pending payment of CBI under Machinery & Equipments.	-	0.09	0.09
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
इनके लिए निधि प्रदान करने के लिए (i) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1708 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां (₹70 करोड़) और स्वायत्त निकाय	For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹1,708 crore) and (ii) additional funds under the schemes Other Subsidy payable including North Eastern Region (₹70 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसाइटी को सहायता (₹0.17 करोड़)।	and Assistance to Autonomous Bodies-Society for Petroleum Laboratory (₹0.17 crore).	1,708.00	-	1,708.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice And Empowerment			
इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹106.50 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान योजना के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Rashtriya Vayoshri Yojana (₹106.50 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Social Defence (₹10 crore).	106.50	-	106.50
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
98 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	98 Ministry of Women and Child Development			
राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम घटक योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major Works under scheme National Nutrition Mission-Programme Component.	-	27.00	27.00
कुल तकनीकी	Total Technical	4,542.95	1,202.73	5,745.68
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में, प्रत्येक मद के लिए ₹1 लाख का पूरक अनुदान लिए जाने का प्रस्ताव है, इसके सामने दर्शाए गए व्यय को राजस्व अथवा पूंजी के अन्तर्गत बचत के विनियोजन से पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का मामला चाहे कोई भी हो। अनुदान की सांकेतिक अनुपूरक मांगें	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) स्कीम के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (₹20 करोड़) (ii) तिलहन और ऑयल पाम संबंधी राष्ट्रीय मिशन (₹6.30 करोड़)	(a) For providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under the scheme (i) Organic Value Chain Development for NE Region (₹20 crore) and (ii) National Mission on Oil seeds and Oil palm (₹6.30 crore).	26.30	-	26.30
(ख) कृषि तंत्रीकरण संबंधी उपमिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹2 करोड़, एससीएसपी ₹1 करोड़ और टीएसपी ₹1 करोड़)	(b) For providing Grants-in-aid General (General Component - ₹2 crore, SCSP - ₹1 crore and TSP - ₹1 crore) under Sub-Mission on Agricultural Mechanisation.	4.00	-	4.00
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना स्कीम, आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन और बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹123.78 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹76.27 करोड़), सहायता अनुदान वेतन (₹196.60 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.11 करोड़)	For providing Grants-in-aid General (₹123.78 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹76.27 crore), Grants-in-aid Salaries (₹196.60 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1.11 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the schemes, National Agricultural Higher Education Project, ICAR Headquarter Administration and Horticulture Institutes, Research and Education Schemes.	397.76	-	397.76

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य घटक ₹58.44 करोड़, एससीएसपी ₹37 करोड़ और टीएसपी ₹15.18 करोड़), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन (₹4.38 करोड़) (ii) मछली पकड़ने के पोतों के स्थानापन्न के लिए पैकेज स्कीम के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.92 करोड़)	(a) For providing (i) Grants-in-aid General (General Component - ₹58.44 crore, SCSP - ₹37 crore and TSP - ₹15.18 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4.38 crore) to National Fisheries Development Board and (ii) Grants-in-aid General to Marine Products Export Development Authority under the scheme Package for Replacement of Fishing Vessels (₹2.92 crore).	117.92	-	117.92
(ख) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान देने हेतु।	(b) For providing Grants-in-aid General to National Fisheries Development Board.	10.00	-	10.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) कानूनी शुल्कों का भुगतान करने के लिए विकिरण और आइसोटॉप प्रौद्योगिकी बोर्ड को जारी करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति करने के लिए।	(a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for release to Board of Radiation and Isotope Technology for making payment of statutory duties.	58.57	-	58.57
(ख) निम्नलिखित का सहायता अनुदान वेतन हेतु व्यय पूरा करने हेतु (i) सहायताप्राप्त संस्थान (₹50 करोड़) (ii) शिक्षा सोसायटी (₹10 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards Grants in Aid Salaries for (i) Aided Institutes (₹50 crore) and (ii) Education Society (AEES) (₹10 crore).	60.00	-	60.00
(ग) रेडियो-एक्टिविटी से बचाव के लिए मुख्य निर्माण कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Major Works for Safety against Radio-activity.	-	45.89	45.89
(घ) बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और विकास हेतु मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करना।	(d) For meeting expenditure towards Major Works for Research and Development in Basic Science and Engineering.	-	110.83	110.83
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
चाय बोर्ड (₹4.70 करोड़), कॉफी बोर्ड (₹61.64 करोड़), रबर बोर्ड (₹65 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹31.68 करोड़) के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salary for Tea Board (₹4.70 crore), Coffee Board (₹61.64 crore), Rubber Board (₹65 crore) and Spices Board (₹31.68 crore).	163.02	-	163.02
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) लंबित वचनबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सब्सिडी हेतु परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy scheme.	151.17	-	151.17
(ख) स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता में सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना	(b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General in Project Based Support to Autonomous Institutions.	20.60	-	20.60
(ग) लंबित वचनबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सब्सिडी हेतु परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy Scheme.	85.30	-	85.30
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15 उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
एकीकृत उपभोक्ता शिकायत समाधान पद्धति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2.95 crore), Other Charges			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करने के लिए (₹2.95 करोड़), अन्य प्रभार (₹3.30 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़)।	(₹3.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) under the scheme of Integrated Consumer Grievance Redressal System.	6.26	-	6.26
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
भारतीय शोधन अक्षमता और दीवालियापन बोर्ड के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries for Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI).	10.07	-	10.07
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹212.85 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹237.73 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹196.75 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹212.85 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹237.73 crore) and Grants-in-aid Salary (₹196.75 crore) under various schemes.	647.33	-	647.33
(ख) बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials.	0.77	-	0.77
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
24 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार करने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना।	For providing additional fund for Advertising and Publicity under the scheme National Rural Drinking Water Programme.	95.00	-	95.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
25 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	25 Ministry of Earth Sciences			
नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय भूकंपीय भवन केंद्र के सृजन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 'भूकंपीय और भू-विज्ञान (एसएजीई)' योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।	For providing additional Grant under the Scheme "Seismological and Geoscience (SAGE)" for acquisition of land for construction of National Centre for Seismology building at Noida (UP).	-	2.50	2.50
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के लिए डिजिटल भुगतान के संवर्धन के लिए 'अन्य प्रभार' हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments for NER component.	40.00	-	40.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
व्यय को पूरा करने के लिए (i) जलीय पारिस्थितिक तंत्र (ईएपी) के संरक्षण के लिए सामान्य अनुदान-सहायता (₹0.50 करोड़) अर्थात् एकीकृत प्रबंधन वेटलैंड जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं और (ii) उत्कृष्टता के केंद्रों को अनुदान सहायता वेतन (₹5.50 करोड़) सालिम अली सेंटर फॉर ओमिथोलॉजी एंड नेचुरल	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹0.50 crore) for Conservation of Aquatic Ecosystems (EAP) namely Integrated Management Wetland Biodiversity and Ecosystem Services and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹5.50 crore) to Centres of Excellence for salaries support			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
हिस्ट्री (सैकॉन) को सहायता के लिए।	to Salim Ali Center for Ornithology and Natural History(SACON).	6.00	-	6.00
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28. विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
भूटान हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अन्य परियोजनाओं हेतु भूटान को सहायता के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Aid to Bhutan- Loans & Advances for other projects for Automated Transmission system for Bhutan Hydro-Electric Projects.	-	71.00	71.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29. आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि में अंशदान के लिए (आईएफएडी)	(a) For contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD)	94.63	-	94.63
(ख) तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष में अंशदान के लिए।	(b) For contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation.	9.90	-	9.90
(ग) भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के तहत जीआईजेड द्वारा चुकाए गए करों की प्रतिपूर्ति के लिए।	(c) For reimbursement of taxes paid by GIZ under the Indo-German Bilateral Development Co-operation.	10.00	-	10.00
(घ) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास (ईबीआरडी) बैंक की भारत की सदस्यता के अभिदान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(d) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for subscription of India's membership to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).	-	14.32	14.32
(ड.) अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) को ब्रिज लोन की अंतिम किस्त के लिए।	(e) For final instalment of Bridge Loan to African Development Bank (AfDB).	-	34.00	34.00
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
(क) केरल के एर्नाकुलम में कार्यालय परिसर आयकर भवन के सृजन के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards construction of office complex at Ernakulam, Kerala.	-	12.00	12.00
(ख) (i) अन्ना नगर, चेन्नई (₹30 करोड़), गया, बिहार (₹0.20 करोड़), महादेवली टोंक, जयपुर (₹1.02 करोड़) आवासीय क्वार्टर के सृजन के लिए व्यय को पूरा करने के लिए और (ii) आयकर कॉलोनी, नवी मुंबई में पंप कक्ष और नई जल आपूर्ति लाइन इत्यादि (₹0.40 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards construction of (i) residential quarters at Anna Nagar, Chennai (₹30 crore), Gaya, Bihar (₹0.20 crore), Mahadevali Tonk, Jaipur (₹1.02 crore) and (ii) Pump Room & New water supply line etc. at Income Tax Colony, Navi Mumbai (₹0.40 crore).	-	31.62	31.62
35 अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के तहत संग्रहण शुल्क के लेखाकरण प्रक्रिया में संशोधन के लिए।	For amendment in accounting procedure of collection charges under Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST).	3,500.00	-	3,500.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41 Ministry of Food Processing Industries			
(क) ऑपरेशन ग्रीन्स की योजना के तहत 1. सामान्य अनुदान-सहायता (सामान्य घटक - ₹163.50 करोड़, एससीएसपी - ₹ 8 करोड़ और टीएसपी - ₹ 8 करोड़) और पेशेवर सेवाएं (₹0.50 करोड़) प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता और प्रबंधन (₹44.01 करोड़) के लिए भूमि की लागत के भुगतान के लिए पूंजीगत संपत्तियों के सृजन	(a) For providing 1. Grants-in-aid General (General Component - ₹163.50 crore, SCSP - ₹8 crore and TSP - ₹8 crore) and Professional Services (₹0.50 crore) under the scheme of Operation Greens 2. Grants for Creation of Capital Assets for payment of cost of land to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए अनुदान और 3. स्कीमों के तहत व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधि (i) पिछड़ा और अग्रणी संबंधों का निर्माण ₹0.19 करोड़) और (ii) मानव संसाधन और संस्था (₹0.80 करोड़)	Management (₹44.01 crore) and 3. additional funds for Professional Services under the schemes (i) Creation of Backward and Forward Linkages (₹0.19 crore) and (ii) Human Resources and Institution (₹0.80 crore).	225.00	-	225.00
(ख) स्कीम ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत सामान्य अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Operation Greens.	20.00	-	20.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (₹2793.60 करोड़) और खाद्य सुरक्षा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और (ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹335 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Ayushman Bharat-National Health Protection Mission (₹2,793.60 crore) and Food safety & Standards Authority of India (₹5 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Food Safety & Standards Authority of India (₹335 crore).	3,133.60	-	3,133.60
(ख) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Population Research Centres.	8.58	-	8.58
(ग) (i) इन स्कीमों के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹484.57 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹156.36 करोड़) और (ii) (₹8 करोड़) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान सहायता वेतन।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹484.57 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹156.36 crore) under various schemes and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹8 crore) to North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical sciences, shillong.	648.93	-	648.93
(घ) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए सामग्री सहायता योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए।	(d) For additional requirement under the scheme Material Assistance for strengthening of National Immunization Programme.	300.00	-	300.00
(ड) व्यय को पूरा करने के लिए (i) आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन स्कीमों के तहत प्रमुख कार्य के लिए (₹50 करोड़), लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, नई दिल्ली (₹2.50 करोड़), डब्ल्यूएचओ - सेरो बिल्डिंग का पुनर्निर्माण, नई दिल्ली (₹50 करोड़) और डॉ आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (₹99.27 करोड़) छात्रावास ब्लॉक के सृजन के लिए (ii) डॉ आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली को मशीनरी और उपकरण (₹5 करोड़) और (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस के अस्पताल, नई दिल्ली को मशीनरी और उपकरण (₹13.90 करोड़) और मोटर वाहन (₹0.65 करोड़)।	(e) For meeting expenditure towards (i) Major Works under the schemes Ayushman Bharat-National Health Protection Mission (₹50 crore), Lady Reading Health School, New Delhi (₹2.50 crore), Reconstruction of WHO-SEARO Building, New Delhi (₹50 crore) and Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹99.27 crore) for construction of Hostel Block (ii) Machinery and Equipment to Dr. RML Hospital, New Delhi (₹5 crore) and (iii) Machinery and Equipment (₹13.90 crore) and Motor Vehicles (₹0.65 crore) to Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi.	-	221.32	221.32
(च) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्य योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए।	(f) For additional requirement under the scheme Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi.	-	4.00	4.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
(क) शेष बचे कर्मचारियों के वीआरएस बकाया के भुगतान के लिए हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैचरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) के लिए भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	(a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd (HPF) for payment of VRS dues of remaining employees.	-	16.00	16.00
(ख) अपने कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और अन्य सांविधिक बकाया के भुगतान के लिए हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement of Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPC) for payment of salary/wages and other statutory dues of its employees.	-	90.00	90.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46 गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।	For providing financial assistance to families of West Pakistan Refugees (WPRs) settled in Jammu and Kashmir.	50.00	-	50.00
52 दमन और दीव	52 Daman and Diu			
(क) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए काम करने के लिए सामान्य अनुदान-सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid General to carry out works for Smart City at Diu district.	5.00	-	5.00
(ख) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम में निवेश हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement towards Investment in Special Purpose Vehicle for Smart City at Diu District.	-	10.00	10.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
56 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) व्यय को पूरा करना (i) एलआईजी के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)-I के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी का संवितरण (₹300 करोड़), (ii) बीएमटीपीसी द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान (₹672 करोड़) और (iii) वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन (₹250 करोड़)।	(a) For meeting expenditure for (i) disbursal of subsidy to the beneficiaries for Credit Link Subsidy Scheme-I for LIG (₹ 300 Crore), (ii) payment of interest on loan taken by BMTPC (₹ 672 crore) and (iii) organising competition on Global Housing Technology Challenge-India (₹250 crore).	1,222.00	-	1,222.00
(ख) शहर के स्तर पर नवपरिवर्तन, एकीकृत और स्थिर करने के लिए निवेश के लिए मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों(सीआईटीआईआईएस) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Mission for 100 Smart Cities for City Investment to Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) at City Level.	5.00	-	5.00
(ग) सीआईटीआईआईएस के लिए 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Mission for 100 Smart Cities for CITIIS.	30.00	-	30.00
(घ) विभिन्न नए निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting expenditure for various new Public works.	-	134.23	134.23
(ङ) विभिन्न नए निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करने के हेतु।	(e) For meeting expenditure for various new works under Housing.	-	49.70	49.70
(च) मुख्य निर्माण कार्य के तहत महानिदेशक, खान सुरक्षा, रायगढ़ के लिए कार्यालय भवन के सृजन के लिए ।	(f) For construction of Office Building for Director General Mines Safety, Raigarh under Major Works.	-	2.00	2.00
(छ) पोत परिवहन मंत्रालय कार्यालय जहाज भवन मुंबई के लिए।	(g) For Office Building for Ministry of Shipping Jahaz Bhawan, Mumbai.	-	0.20	0.20

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹157.20 करोड़) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹297.30 करोड़) के तहत सहायता अनुदान (ii) पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान एनवीएस स्कीम के अंतर्गत (₹811.21 करोड़) और (iii) केवीएस योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹752.38 करोड़) और एनवीएस (₹301.85 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹157.20 crore) and Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹297.30 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NVS (₹811.21 crore) and (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme KVS (₹752.38 crore) and NVS (₹301.85 crore).	2,319.94	-	2,319.94
(ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के अंतर्गत (₹350 करोड़) सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹45 करोड़) के तहत।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹350 crore) and Appointment of Language Teachers (₹45 crore).	395.00	-	395.00
(ग) सर्व शिक्षा अभियान स्कीमों के तहत सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹2608.19 करोड़), शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹100 करोड़) और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹5 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the schemes SSA (₹2608.19 crore), Strengthening of Teacher Training Institutions (₹100 crore) and Appointment of Language Teachers (₹5 crore).	2,713.19	-	2,713.19
58 उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता अनुदान (₹277.10 करोड़) (ii) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (iii) केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित मानद विश्वविद्यालयों के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹300 करोड़), और भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान (₹7.75 करोड़) और (iv) भारत में अध्ययन योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹1.50 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹277.10 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 10 crore) (iii) Grants-in-Aid Salaries under the schemes Deemed Universities promoted by Central Government (₹ 300 crore), and Grants for Promotion of Indian Languages (₹7.75 crore) and (iv) Professional Services under the scheme Study in India (₹ 1.50 crore).	596.35	-	596.35
(ख) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹501.21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹84.45 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹480.45 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹501.21 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹84.45 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹480.45 crore) under various schemes.	1,066.11	-	1,066.11
(ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) -जीबीएस स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़), भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान (₹1 करोड़), और उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) (₹0.26 करोड़) और (ii) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹13.90 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes University Grants Commission (UGC)-GBS (₹ 50 crore), Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 1 crore), and Higher Education Statistics And Public Information System (HESPIs) (₹ 0.26 Crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 13.90 crore).	65.16	-	65.16

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के तहत प्रसार भारती के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure for Prasar Bharati under the scheme Grants-in-aid to Prasar Bharati for Arun Prabha Channel in North Eastern Area.	20.00	-	20.00
(ख) मुख्य निर्माण कार्य के तहत चलचित्रों (फिल्म्स डिवीजन) के संग्रहालय की स्थापना के लिए।	(b) For setting up of Museum of moving images (Films Division).	-	4.27	4.27
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹0.10 करोड़), उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण संवर्धन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.55 करोड़) और पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹6.34 करोड़)।	(a) For meeting additional requirement under Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Grants-in-aid General (₹1.55 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹6.34 crore) for Infrastructure Development and Capacity Building Promotion.	7.99	-	7.99
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹0.40 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹12.40 करोड़) एनईआर और सिक्किम में एमएसएमई की क्षमता निर्माण संवर्धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹1 करोड़), कार्यालय व्यय (₹20 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़) और अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रकाशन (₹0.05 करोड़) (iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (अनुसूचित जाति घटक-₹0.08 करोड़ और सामान्य घटक-₹0.11 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.19 करोड़) (iv) विपणन संवर्धन और विकास सहायता के लिए पूंजीगत आस्तियों (₹0.10 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान और (v) अपेक्षित दावों का निपटान करने के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम और क्षमता सृजन के लिए अनुदान सहायता (₹10 करोड़) (vi) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) की लंबित देनदारियों का निपटान करने के लिए सब्सिडी (₹829.25 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards (i) Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Grants-in-aid General (₹0.40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹12.40 crore) for Infrastructure Development and Capacity Building Promotion (ii) Domestic Travel Expenses (₹1 crore), Office Expenses (₹20 crore), Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Professional Services (₹1 crore) and Publications (₹0.05 crore) towards Research and Evaluation Studies (iii) Grants-in-aid General (₹0.19 crore) for Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (SC Component-₹0.08 crore and General Component-₹0.11 crore) (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹0.10 crore) towards Marketing Promotion and Development Assistance and (v) Grants-in-aid General (₹10 crore) for Infrastructure Development Programme and Capacity Building to clear the expected claims and (vi) Subsidies for National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) to clear the pending liabilities of Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) (₹829.25 crore).	874.59	-	874.59
(ग) ग्रामीण और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयोजन शीर्ष मोटर वाहन (₹2 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹1.20 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹9.80 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement under object heads Motor Vehicle (₹2 crore), Machinery and Equipment (₹1.20 crore) and Major Works (₹9.80 crore) for establishment of village and small industries.	-	13.00	13.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65 खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
प्रयोजन शीर्ष घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त	For meeting additional expenditure under			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.40 करोड़), किराया, दरें और कर (₹1 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.40 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹190.10 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹185 करोड़) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के लिए।	object heads Domestic Travel Expenses (₹0.40 crore), Rent, Rates and Taxes (₹1 crore), Other Administrative Expenses (₹0.40 crore), Professional Services (₹190.10 crore) and Grants-in-aid General (₹185 crore) for National Mineral Exploration Trust (NMET).	376.90	-	376.90
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
68 पंचायती राज मंत्रालय	68 Ministry of Panchayati Raj			
(क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹7.50 करोड़) और अन्य प्रभार (₹2.50 करोड़) के तहत निधि प्रदान करने के लिए।	(a) For providing funds under Grants-in-aid General (₹25 crore), Professional Services (₹7.50 crore) and Other Charges (₹2.50 crore) under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	35.00	-	35.00
(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to North Eastern Areas under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	80.50	-	80.50
(ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹459.41 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹145.85 करोड़)।	(c) For providing Grants-in-aid General (₹459.41 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹145.85 crore) to State Governments under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	605.26	-	605.26
(घ) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान केंद्र (₹0.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को अनुदान (₹0.02 करोड़) प्रदान करने के लिए अनुदान।	(d) For providing Grants-in-aid General (₹0.02 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.02 crore) to Union Territory Governments under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).	0.04	-	0.04
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
सामान्य सहायता अनुदान के तहत विभागीय कैटीन के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन करने के लिए।	For making allocation for Modernization of Departmental Canteens under Grants-in-aid General.	0.50	-	0.50
71 केंद्रीय सतर्कता आयोग	71 Central Vigilance Commission			
स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Swachhta Action Plan (SAP).	0.10	-	0.10
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
केरोसिन वितरण सुधार के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to State Governments under the scheme Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms.	177.00	-	177.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
सहज बिजली हर घर योजना-शहरी स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹800 करोड़) और ग्रामीण (₹2,440 करोड़)।	For providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Sahaj Bijli Har Ghar Yojana-Urban (₹800 crore) and Rural (₹2,440 crore).	3,240.00	-	3,240.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80 रेल मंत्रालय	80 Ministry of Railways			
विभिन्न पूंजीगत कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under various capital works.	-	2,414.13	2,414.13
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए 1. राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) के अंतर्गत विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं (₹39 करोड़) (ii) एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं (₹129 करोड़) (iii) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (₹135 करोड़) (iv) विश्व बैंक को एनएचआईआईपी के लिए विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए काउंटरपार्ट फंड (₹56 करोड़) (v) एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीम के लिए काउंटरपार्ट फंड (₹116 करोड़) (vi) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं के लिए काउंटरपार्ट फंड (₹100 करोड़) और (vii) वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (₹100 करोड़)।	For providing additional funds under Major Works for 1. World Bank Externally Aided Schemes of National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (NHIIP) (₹39 crore) (ii) Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹129 crore) (iii) Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹135 crore) (iv) the Counterpart Fund to World Bank Externally Aided Schemes to NHIIP (₹56 crore) (v) the counterpart fund for Asian Development Bank Externally Aided Scheme (₹116 crore) (vi) the Counterpart Fund for Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹100 crore) and (vii) Special Programme for Development of Road Connectivity in Left Wing Extermists Affected Areas (₹100 crore).	-	675.00	675.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82 ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) स्कीम के तहत निधि प्रदान कराने के लिए (i) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया (₹1 करोड़) को सुदृढ़ बनाना और (ii) बीपीएल सर्वेक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक लागत जनगणना (₹311.25 करोड़)।	(a) For providing funds under the scheme (i) Management Support to Rural Development Programme and Strengthening District Planning Process (₹1 crore) and (ii) Social Economic Cost Census for BPL Survey (₹311.25 crore).	312.25	-	312.25
(ख) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के लिए केंद्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to State Government for Central Assistance for Rural Self Employment Training Institutes (RSETI).	1.00	-	1.00
(ग) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के लिए विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing Grants-in-aid General to Union Territory Government with Legislature for Rural Self Employment Training Institutes (RSETI).	0.01	-	0.01
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	84 Department of Science and Technology			
विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड के व्यय को पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) सामान्य घटक (₹50 करोड़) और (ii) अनुसूचित जनजाति उप-योजना (₹6.50 करोड़) 2. अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.50 करोड़)।	For meeting expenditure of Science and Engineering Board towards 1. Grants-in-aid General for (i) General Component (₹50 crore) and (ii) Scheduled Tribe Sub-Plan (₹6.50 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for Scheduled Tribe Sub-Plan (₹3.50 crore).	60.00	-	60.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
85 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) व्यय पूरा करने के लिए (1) नई स्कीम बायो फार्मा मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) कार्यक्रम घटक (₹49 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹48.50 करोड़) (2) नई स्कीम बायो फार्मा मिशन के लिए पूंजीगत आस्तियों के अनुदान (i) कार्यक्रम घटक (₹49.00 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹48.50 करोड़)	85 Department of Biotechnology (a) For meeting additional expenditure under NER component. (b) For meeting expenditure towards (1) Grants in Aid General for new scheme Bio Pharma Mission (i) Programme Component (₹49 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹ 48.50 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets for new scheme Bio Pharma Mission (i) Programme Component (₹49 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹48.50 crore)	20.00 195.00	- -	20.00 195.00
पोत परिवहन मंत्रालय 87 पोत परिवहन मंत्रालय पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (i) चार लेन संपर्क सड़क परियोजना (₹4.74 करोड़) और (ii) मुंबई और वाईजेग के लिए सागरमाला के तहत तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट को प्रदान करने के लिए (₹25.04 करोड़)।	MINISTRY OF SHIPPING 87 Ministry of Shipping For providing Grants for Creation of Capital Assets (i) to Mormugao Port Trust for completion of Four Lane Connectivity Road Project (₹4.74 crore) and (ii) for Coastal Community Development Programme under Sagarmala for Mumbai and Visakhapatnam (₹25.04 crore).	29.78	-	29.78
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड स्कीम के तहत निवेश के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 89 Department of Social Justice And Empowerment For meeting additional requirement for Investment under the scheme Venture Capital Fund for Schedule Castes.	-	20.00	20.00
अंतरिक्ष विभाग 91 अंतरिक्ष विभाग (क) व्यय को पूरा करने के लिए (i) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के लिए निधि जारी करने हेतु में इसरो उपग्रह केंद्र (आईएसएसी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3.40 करोड़) परियोजना और अर्ध-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) के लिए रमन और वेफर फैब सुविधा (₹65 करोड़) और (ii) पूंजीगत वस्तुओं के स्पिल ओवर भुगतान और खरीद (₹170 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के लिए अर्ध-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए (₹15 करोड़) उन्नत पेटस्केल कंप्यूटिंग सिस्टम के विकास के लिए। (ख) नई अनुमोदित परियोजनाओं के 'अन्य पूंजीगत व्यय' शीर्ष के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	DEPARTMENT OF SPACE 91 Department of Space (a) For meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid General for ISRO Satellite Centre (ISAC) towards release of funds for Raman Research Institute (RRI) (₹ 3.40 crore) for the Project and Semi-Conductor Laboratory (SCL) and towards AMC expenses for Wafer Fab facility (₹ 65 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets of Semi-Conductor Laboratory (SCL) towards spill over payments & procurement of capital items (₹ 170 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹15 crore) towards development of advanced petascale computing system. (b) For meeting expenditure under the head 'Other Capital Expenditure' of newly approved Projects.	253.40 -	- 877.00	253.40 877.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 92 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (क) एमपीएलएडी योजना की तीसरी पार्टी निगरानी	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 92 Ministry of Statistics and Programme Implementation (a) For meeting expenditure under			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
की आवश्यकता के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	Professional Services for requirement of third party monitoring of MPLAD scheme.	5.00	-	5.00
(ख) अर्हक संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्षमता विकास योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for Capacity Development Scheme for providing financial assistance to eligible institutions/organizations.	0.32	-	0.32
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL		
93 इस्पात मंत्रालय	93 Ministry of Steel			
इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला को एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में उन्नयन करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for upgradation of Ispat General Hospital, Rourkela to a super speciality hospital and medical college.	10.00	-	10.00
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES		
94 कपड़ा मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
(क) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) मानव संसाधन विकास (₹1.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (₹1 करोड़) और (iii) धागा आपूर्ति (₹5 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General under the scheme (i) Human Resource Development (₹1.50 crore) (ii) National Handloom Development Programme (₹1 crore) and (iii) Yarn Supply (₹5 crore).	7.50	-	7.50
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.50) (ii) प्रशिक्षण और विस्तार में वेतन (₹3.50 करोड़) (iii) मानव संसाधन विकास में सामान्य सहायता अनुदान (₹3.20 करोड़) (iv) हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर में व्यावसायिक सेवा (₹0.50 करोड़) (v) डीसी (हस्तशिल्प) संग्रहालय कार्यालय में वेतन (₹2 करोड़) (vi) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.10 करोड़) और पावर टेक्स इंडिया स्कीम (₹0.10 करोड़ रुपये) में अन्य प्रभार (vii) डीसी (हस्तशिल्प) के कार्यालय में मानव संसाधन विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) (viii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.85 करोड़) और डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना में अन्य प्रभार (₹0.15 करोड़) (ix) सामान्य सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और मानव संसाधन विकास में अन्य प्रभार (₹1 करोड़) (x) विज्ञापन और प्रचार (₹0.30 करोड़) और हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना अन्य प्रभार (₹2 करोड़) (xi) विज्ञापन और प्रचार (₹0.10 करोड़), अनुसंधान और विकास योजना में सामान्य सहायता अनुदान (₹0.80 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.10 करोड़) (xii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (₹9.25 करोड़) में सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For meeting additional requirement of (i) Information Technology in Office of Development Commissioner of Handloom (₹ 0.50 crore) (ii) Salaries in Training & Extension (₹ 3.50 crore) (iii) Grants-in-aid General in Human Resource Development (₹ 3.20 crore) (iv) Professional Service in Handicrafts Mega Cluster (₹ 0.50 crore) (v) Salaries in Museum Office of DC (Handicrafts) (₹ 2 crore)(vi) Domestic Travel Expenses (₹ 0.10 crore) and Other Charges in Power Tex India Scheme (₹ 0.10 crore) (vii) Grants-in-aid General under Human Resource Development in Office of DC (Handicrafts) (₹ 2 crore) (viii) Grants in-aid General (₹ 4.85 crore) and Other Charges in Design (₹ 0.15 crore) and Technical Up-gradation Scheme.(ix) Grants in-aid General (₹ 4 crore) and Other Charges in Human Resource Development (₹ 1 crore) (x) Advertising and Publicity (₹ 0.30 crore) and Other Charges (₹ 2 crore) in Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme (xi) Advertising and Publicity (₹ 0.10 crore), Grants in-aid General (₹ 0.80 crore) and Other Charges (₹ 0.10 crore) in Research and Development Scheme (xii) Grants in-aid General (₹9.25 crore) in National Handloom Development Programme.	34.45	-	34.45
(ग) अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास परियोजना स्कीम में मुख्य निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Major Works in Infrastructure & Technology Development Project Scheme.	-	9.37	9.37

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
95 पर्यटन मंत्रालय	95 Ministry of Tourism			
निम्नलिखित हेतु नया प्रयोजन शीर्ष खोलने के लिए (i) स्वदेश दर्शन स्कीमों के अंतर्गत विविध व्यय (₹0.50 करोड़) और तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान (प्रसाद) (₹0.05 करोड़) और (ii) निदेशन और प्रशासन (स्थापना) स्कीम के तहत नए कार्यालय भवन का किराया, दर और कर (₹6 करोड़)।	For opening of new object head for (i) miscellaneous expenses under the schemes Swadesh Darshan (₹0.50 crore) and Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) (₹0.05 crore) and (ii) Rent, Rate and Taxes of new office building under the scheme Direction and Administration (Establishment) (₹6 crore).	6.55	-	6.55
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96 जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
(क) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Minimum Support Price for Minor Forest Produce.	25.00	-	25.00
(ख) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान के लिए स्वच्छता कार्य योजना (₹40 करोड़), आदिवासी उप स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (₹52 करोड़) और (ख) लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹30 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (a) Swachhta Action Plan for Grants under provision to Article 275 (1) of the Constitution (₹40 crore), Special Central Assistance to Tribal Sub Schemes (₹52 crore) and (b) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹30 crore).	122.00	-	122.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
97 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	97 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के संबंध में स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting establishment related expenditure in respect of Mahanadi Water Disputes Tribunal.	4.32	-	4.32
(ख) राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure under various heads for National Water Informatics Centre.	0.01	-	0.01
(ग) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹66 करोड़) और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (ईएपी घटक) को पूंजीगत आस्तियों (₹634 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान (ईएपी घटक)।	(c) For providing Grants-in-aid General (₹66 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹634 crore) to National Ganga River Basin Authority (EAP Component).	700.00	-	700.00
(घ) विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य क्रमिक रूप से सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि की दयनीय स्थिति का निवारण करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने के लिए।	(d) For release of Grants for creation of Capital Assets towards Special package for irrigation projects to address agrarian distress in districts of Vidarbha, Marathawada and other chronically drought prone areas of Maharashtra.	900.00	-	900.00
(ङ) राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य और मशीनरी और उपकरण पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure on Major Works and Machinery & Equipment for National Water Informatics Centre.	-	0.01	0.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
98 महिला और बाल विकास मंत्रालय	98 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) केन्द्रीय सामाज कल्याण बोर्ड स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹14.91 करोड़),	(a) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Central Social Welfare Board			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (₹1.80 करोड़), एकल केंद्र (₹75.63 करोड़), बाल संरक्षण स्कीम (₹97.30 करोड़) और विधवा आश्रम (₹0.05 करोड़)। (ii) एकल केंद्र स्कीम (₹105.27 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। (iii) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) स्कीमों के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹4.75 करोड़) और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (₹2.45 करोड़), (iv) किशोरी योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹0.25 करोड़) और (v) राष्ट्रीय पोषण मिशन-कार्यक्रम घटक स्कीम के तहत किराया, दर और कर (₹1.15 करोड़)।	(₹14.91 crore), Central Adoption Resources Agency (₹ 1.80 crore), One Stop Centre (₹75.63 crore), Child Protection Scheme (₹97.30 crore) and Home for Widows (₹0.05 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop Centre (₹ 105.27 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the schemes National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 4.75 crore and Central Adoption Resources Agency (₹ 2.45 crore), (iv) Professional Services under the Scheme for Adolescent Girls (₹ 0.25 crore) and (v) Rent, Rate and Taxes under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component (₹1.15 crore).	303.56	-	303.56
(ख) एकल केंद्र स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹6.27 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों (₹10.53 करोड़) के सृजन के लिए अनुदान।	(b) For Grants-in-aid General (₹6.27 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹10.53 crore) under the scheme One Stop Centre.	16.80	-	16.80
(ग) विधवा आश्रम स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(c) For Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows.	7.94	-	7.94
(घ) विधवा आश्रम स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(d) For Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows.	0.01	-	0.01
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
99 युवा मामले और खेल मंत्रालय	99 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹327.75 करोड़), सहायता अनुदान वेतन (₹173.30 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹52.40 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹327.75 crore), Grants-in-aid Salary (₹173.30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹52.40 crore) under various schemes.	553.45	-	553.45
(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Laxmibai National Institute of Physical Education.	42.65	-	42.65
कुल सांकेतिक	Total Token	0.77	0.25	1.02
5. ₹ 1,45,60,00,000 की अग्रिम राशि आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदन के पश्चात इस राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।	5. An advance of ₹ 1,45,60,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting Contingency requirement. This will be recouped to the fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	9,779.05	1,918.87	11,697.92
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	5,235.33	715.89	5,951.22
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	4,542.95	1,202.73	5,745.68
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.77	0.25	1.02

विषय सूची CONTENTS

				(₹ करोड़ in ₹ crore)				
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि एवं कृषक	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE							
कल्याण मंत्रालय								
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted	1791.64	...	1791.64	1	
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	2	
3. पशु पालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.02	...	0.02	3	
आणविक ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY							
4. आणविक ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	0.02	0.02	0.04	4	
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)							
5. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	5. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	30.00	...	30.00	5	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS							
6. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	200.00	...	200.00	6	
7. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	2.00	...	2.00	7	
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION							
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	...	980.00	980.00	8	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY							
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	500.01	...	500.01	9	
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.03	...	0.03	10	
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS							
13. डाक विभाग	स्वीकृत	13. Department of Posts	Voted	600.00	...	600.00	11	
14. दूरसंचार विभाग	भारित	14. Department of Telecommunications	Charged	78.82	...	78.82	12	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION							
15. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted	0.01	...	0.01	13	
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	16. Department of Food and Public Distribution	Voted	463.31	...	463.31	14	
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS							
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	15	
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE							
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	0.02	150.00	150.02	16	
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE							
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	स्वीकृत	19. Ministry of Defence (Misc)	Voted	1057.84	...	1057.84	18	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION							
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	110.00	...	110.00	19	
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION							
24. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01	...	0.01	20	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES							
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	25. Ministry of Earth Sciences	Voted	...	0.01	0.01	21	
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY							
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	26. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	200.01	...	200.01	22	
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE							
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	50.01	...	50.01	23	
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS							
28. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	250.00	0.01	250.01	24	

वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	0.03	0.02	0.05	25
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Voted	...	20.00	20.00	26
32. निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग	स्वीकृत	32. Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)	Voted	27.15	...	27.15	27
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02	28
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	0.01	...	0.01	29
36. भारतीय लेखा विभाग	स्वीकृत	36. Indian Accounts Department	Voted	14.00	...	14.00	30
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	...	0.02	31
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	0.02	0.06	32
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	...	0.02	0.02	34
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	भारित	46. Ministry of Home Affairs	Charged	2.17	...	2.17	35
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	150.00	715.89	865.89	36
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	516.31	25.64	541.95	37
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
49. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	86.00	...	86.00	39
52. दमन एवं दीव	स्वीकृत	52. Daman & Diu	Voted	0.01	0.01	0.02	40
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
56. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.03	0.04	0.07	41
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	0.03	...	0.03	43
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	44
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	0.01	0.02	46
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	0.01	0.03	47
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
65. खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	0.01	...	0.01	49
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
68. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.04	...	0.04	50
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.01	0.09	0.10	51
71. केंद्रीय सतर्कता आयोग	भारित	71. Central Vigilance Commission	Charged	0.01	...	0.01	52
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	1708.01	...	1708.01	53
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
73. योजना मंत्रालय		73. Ministry of Planning	Voted	20.90	...	20.90	54
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	0.01	...	0.01	55
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT					
76. लोक सभा	भारित	76. Lok Sabha	Charged	0.10	...	0.10	56
	स्वीकृत		Voted	20.00	...	20.00	
77. राज्य सभा	भारित	77. Rajya Sabha	Charged	1.13	...	1.13	57
	स्वीकृत		Voted	23.84	...	23.84	
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
80. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	80. Ministry of Railways	Voted	...	0.01	0.01	58

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
81. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	...	0.01	0.01	60
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
82. ग्रामीण विकास विभाग		82. Department of Rural Development	Voted	0.03	...	0.03	61
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	62
85. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	0.02	...	0.02	63
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING					
87. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	218.60	...	218.60	64
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	89. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	156.50	0.01	156.51	65
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
91. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	67
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.02	...	0.02	68
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
93. इस्पात मंत्रालय		93. Ministry of Steel	Voted	0.01	...	0.01	69
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
94. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Voted	1500.02	0.01	1500.03	70
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
95. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	72
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged Voted	0.01 0.01	0.01 0.01	73
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION					
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.04	0.01	0.05	74
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
98. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.04	27.00	27.04	75
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय		99. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	0.02	...	0.02	77
कुल जोड़		GRAND TOTAL		9779.05	1918.87	11697.92	
	भारित स्वीकृत		Charged Voted	82.24 9696.81	0.00 1918.87	82.24 11615.68	
अनुबंध		ANNEXURE					

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	46586.30	46586.30
पूंजी	Capital	...	113.70	113.70
जोड़	Total	...	46700.00	46700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1791.64	1791.64
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1791.64	1791.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	48491.64	48491.64
राजस्व	Revenue	...	48377.94	48377.94
पूंजी	Capital	...	113.70	113.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	1791.62 (का)	1791.62
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1791.64	1791.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(i) मॉडल जैविक खेती हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18 करोड़) जारी करना।	(a)	(i) release of additional Grants-in-aid General for model organic farming under the scheme of Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹ 18 crore).
	(ii) 'स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को संवर्धन' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 591.62 करोड़) प्रदान करने के प्रयोजनार्थ।		(ii) providing Grants-in-aid General under the Scheme for Promotion of Agricultural Mechanization for In-situ Management of Crop Residue (₹ 591.62 crore).
	(iii) एमआईएस/पीएसएस (₹ 1200 करोड़) के कार्यान्वयन के तहत ब्याज वित्तपोषण की देयता के लिए अतिरिक्त 'राजसहायता' प्रदान करने के प्रयोजनार्थ।		(iii) providing additional 'subsidies' under Market Intervention Scheme and Price Support Scheme to meet interest financing liability (₹ 1200 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo.
(ख)	(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 20 करोड़) जारी करना।	(b)	(i) release of additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under the scheme of Organic Value Chain Development for NE Region (₹ 20 crore).
	(ii) राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 6.30 करोड़ रुपये) जारी करना।		(ii) release of additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under National Mission on Oil Seeds and Oil Palm (₹ 6.30 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत हेतु मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए (₹ 2 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए (₹ 1 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र की उप योजना घटक के लिए (₹ 1 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के प्रयोजनार्थ।	(c)	release of Grants-in-aid General (General Component- ₹ 2 crore, Scheduled Caste Sub Plan - ₹ 1 crore and Tribal Sub Plan - ₹ 1 crore) under Sub-Mission on Agricultural Mechanization.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7800.00	7800.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	7800.00	7800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7800.01	7800.01
राजस्व	Revenue	...	7800.01	7800.01
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 123.78 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 76.27 करोड़) जारी करना।
- (ii) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹ 196.60 करोड़) जारी करना।
- (iii) बागवानी संस्थानों, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 1.11 करोड़) जारी करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) release of Grants-in-Aid General (₹ 123.78 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 76.27 crore) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme National Agricultural Higher Education Project .
- (ii) release of Grants-in-Aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme ICAR Headquarter Administration (₹ 196.60 crore).
- (iii) release of Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes, Research & Education Schemes (₹ 1.11 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3536.11	3536.11
पूंजी	Capital	...	43.89	43.89
जोड़	Total	...	3580.00	3580.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3580.02	3580.02
राजस्व	Revenue	...	3536.13	3536.13
पूंजी	Capital	...	43.89	43.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को (सामान्य घटक - ₹ 58.44 करोड़, एससीएसपी - ₹ 37 करोड़ और टीएसपी - ₹ 15.18 करोड़) वेतन और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.38 करोड़) प्रदान करना।
- (ii) मत्स्य नौका के प्रतिस्थापन के लिए पैकेज की योजना में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹ 2.92 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान जारी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय मत्स्य विकास विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) जारी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) release of Grants-in-aid General (General Component - ₹ 58.44 crore, Scheduled Castes Sub Plan - ₹ 37 crore and Tribal Sub Plan - ₹ 15.18 crore) and Grant-in-aid Salaries (₹ 4.38 crore) to National Fisheries Development Board.
- (ii) release of Grants-in-aid General to Marine Products Export Development Authority in the scheme of Package for Replacement of Fishing Vessel (₹ 2.92 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) release of Grants-in-aid General to National Fisheries Development Board (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	13928.15	13929.15
पूंजी	Capital	0.50	7588.73	7589.23
जोड़	Total	1.50	21516.88	21518.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.50	21516.92	21518.42
राजस्व	Revenue	1.00	13928.17	13929.17
पूंजी	Capital	0.50	7588.75	7589.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (का)	0.01
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01 (गं)	0.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	0.01 (घं)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शास्ति और ब्याज का भुगतान करने के लिए विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड को जारी की गई भारत की आकस्मिक निधि में से आहरित ₹ 58.57 करोड़ की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) सहायता प्राप्त संस्थानों (₹ 50 करोड़) और (ii) शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹ 10 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) रेडियो-धर्मिता से सुरक्षा हेतु मुख्य कार्यों के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 45.89 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) मूलभूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 110.83 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) recoupment of advance of ₹ 58.57 crore drawn from Contingency Fund of India released to Board of Radiation & Isotope Technology (BRIT) for making payment of Central Excise duty, penalty and interest.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards Grants in Aid Salaries for (i) aided institutes (₹ 50 crore) and (ii) Education Society (AEES) (₹ 10 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure towards Major Works for Safety against Radio-activity (₹ 45.89 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure towards Major Works for Research and Development in Basic Science and Engineering. (₹ 110.83 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2107.10	2107.10
पूंजी	Capital	...	23.70	23.70
जोड़	Total	...	2130.80	2130.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	30.00	30.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	30.00	30.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2160.80	2160.80
राजस्व	Revenue	...	2137.10	2137.10
पूंजी	Capital	...	23.70	23.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	30.00	30.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1.राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (₹ 2 करोड़) और 2. "सूचना, शिक्षा और संचार (आईइसी) स्कीम के अन्तर्गत विज्ञापन और प्रचार " (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इस पर नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

GIA General under the scheme 1. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (₹ 2 crore) and 2. Advertisement and Publicity under the scheme "Information, Education and Communication (IEC)" (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	199.65	199.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	199.65	199.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	200.00	200.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	200.00	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	399.65	399.65
राजस्व	Revenue	...	399.65	399.65
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	200.00	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी की शेष राशि (₹ 200.00 करोड़) जारी करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

releasing the balance amount of Capital subsidy for Assam Gas Cracker Project (₹ 200 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	73485.35	73485.35
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	73485.39	73485.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2.00	2.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2.00	2.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	73487.39	73487.39
राजस्व	Revenue	...	73487.35	73487.35
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	2.00	2.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए भुगतान करने के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (i) एमआरपी के औचित्य का मूल्यांकन करने में कार्यरत लागत लेखाकार और संचलन योजना के लिए यातायात साधनों के विकास के लिए राइट्स (₹ 2 करोड़)।
उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under Professional Services to make payments to (i) Cost Accountants engaged to assess the reasonableness of MRPs and (ii) RITES for development of Transport Model for movement plan (₹ 2 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5881.86	5881.86
पूंजी	Capital	...	721.00	721.00
जोड़	Total	...	6602.86	6602.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	980.00	980.00
जोड़	Total	...	980.00	980.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7582.86	7582.86
राजस्व	Revenue	...	5881.86	5881.86
पूंजी	Capital	...	1701.00	1701.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	980.00	980.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कायाकल्प योजना के अंतर्गत एयर इंडिया में इक्विटी का निवेश (₹ 980 करोड़) ।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

infusion of equity in Air India under Turn Around Plan (₹ 980 crore) .

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4741.70	4741.70
पूंजी	Capital	...	510.00	510.00
जोड़	Total	...	5251.70	5251.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	500.01	500.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	500.01	500.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5751.71	5751.71
राजस्व	Revenue	...	5241.71	5241.71
पूंजी	Capital	...	510.00	510.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407-पौधारोपण	2407-Plantations	...	0.01 (का)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	500.00 (खब)	500.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	500.01	500.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'वेतन सहायता अनुदान हेतु चाय बोर्ड के अंतर्गत ₹ 4.70 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- (ii) 'वेतन सहायता अनुदान हेतु कॉफी बोर्ड के अंतर्गत ₹ 61.64 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (iii) 'वेतन सहायता अनुदान हेतु रबड़ बोर्ड के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (iv) 'वेतन सहायता अनुदान हेतु मसाला बोर्ड के अंतर्गत ₹ 31.68 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) शुल्क वापसी स्कीम/सीएसटी की लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए 'राजसहायता' के अंतर्गत ₹ 683.39 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (ii) व्यापार करने की सरलता में सुधार लाने, भौतिक और डिजिटल संपर्क के सुदृढीकरण, मूल्यवर्धन के लिए उन सेक्टरों को अभिज्ञात करना जिनकी क्षमता का दोहन नहीं किया गया है, रोजगार सृजन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन देने पर लक्षित नई स्कीम चैम्पियन सेवाएं सेक्टर हेतु ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, शुल्क वापसी स्कीम के लिए ₹ 500 करोड़ के नकद व्यय और चैम्पियन सेवाएं सेक्टर के लिए ₹ 100 करोड़ के सांकेतिक पूरक अनुदान की आवश्यकता होगी।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting additional requirement of ₹ 4.70 crore under Tea Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
- (ii) Meeting additional requirement of ₹ 61.64 crore under Coffee Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
- (iii) Meeting additional requirement of ₹ 65 crore under Rubber Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
- (iv) Meeting additional requirement of ₹ 31.68 crore under Spices Board towards 'Grants-in-Aid Salary'.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting the additional requirement of ₹ 683.39 crore under 'Subsidies' towards payment of Liabilities of Duty Drawback Scheme/CST.
- (ii) Meeting the additional requirement of ₹ 100 crore towards New Scheme Champion Services Sector aimed at giving an impetus for improving ease of doing business, for strengthening physical and digital connectivity, identifying sectors with untapped potential for value addition, employment generation and technology upgradation.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 500 crore for Duty Drawback Scheme and a token supplementary of ₹ 100 crore for Champion Services Sector.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 12
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग**

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5430.56	5430.56
पूंजी	Capital	...	709.67	709.67
जोड़	Total	...	6140.23	6140.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6140.26	6140.26
राजस्व	Revenue	...	5430.59	5430.59
पूंजी	Capital	...	709.67	709.67

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) (a)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) (b)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01	(ग) (c)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) प्रयोजन शीर्ष "राजसहायता" के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के तहत ₹ 151.17 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता में "सामान्य सहायता अनुदान" के अंतर्गत ₹ 20.60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) प्रयोजन शीर्ष "राजसहायता" के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी स्कीम/भाड़ा सब्सिडी स्कीम के तहत ₹ 85.30 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting additional requirement of ₹ 151.17 crore under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy Scheme under the object head "Subsidies".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional requirement of ₹ 20.60 crore under "Grants-in-aid General" in Project Based Support to Autonomous Institutions.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional requirement of ₹ 85.30 crore under Transport Subsidy Scheme/Freight Subsidy Scheme under the object head "Subsidies".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	28514.24	28515.04
पूंजी	Capital	...	757.52	757.52
जोड़	Total	0.80	29271.76	29272.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	600.00	600.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	600.00	600.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.80	29871.76	29872.56
राजस्व	Revenue	0.80	29114.24	29115.04
पूंजी	Capital	...	757.52	757.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	600.00	600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित श्री कमलेश चन्द्र समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ग्रामीण डाक सेवकों को संशोधित समय संबंधित निरंतर भत्ते (टीआरसीए) के बकाये के भुगतान हेतु ₹ 600 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इस पर नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) meeting additional expenditure of ₹ 600 crore towards payment of arrears of revised Time Related Continuity Allowance (TRCA) to Gramin Dak Sewaks on implementation of recommendations of Shri Kamlesh Chandra Committee, as approved by the Union Cabinet.

This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	33052.53	33052.53
पूंजी	Capital	...	5002.75	5002.75
जोड़	Total	...	38055.28	38055.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	78.82	...	78.82
पूंजी	Capital
जोड़	Total	78.82	...	78.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	78.82	38055.28	38134.10
राजस्व	Revenue	78.82	33052.53	33131.35
पूंजी	Capital	...	5002.75	5002.75
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	78.82	...	78.82

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मैसर्स नीदरलैण्ड इण्डिया कम्युनिकेशन्स इन्टरप्राइजेज लि. द्वारा दायर की गई प्रवर्तन याचिका के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए ₹ 78.82 करोड़ रुपये का भुगतान। इन प्रयोजनार्थ, भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम के रूप में ₹ 25.97 करोड़ की जो राशि मंजूर की गई थी इस पूरक मांग के अनुमोदन के पश्चात इस राशि से निधि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

इस पर कोई नकद व्यय भी नहीं होगा क्योंकि अतिरिक्त व्यय की पूर्ति अनुदान के स्वीकृत भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचत से हो जाएगी।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

payment of ₹ 78.82 crore in satisfaction of an award given by High Court Delhi against enforcement petition filed by M/s Netherland India Communication Enterprises Limited related to Radio Paging Services in Bhopal Nagpur and Jammu & Kashmir circles. Amount of ₹ 25.97 crore, sanctioned as an advance from Contingency Fund of India for this purpose, will be recouped to the fund after approval of this supplementary.

This will also not entail cash outgo as the additional expenditure will be matched by savings available under voted section of the Grant.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित स्वीकृत जोड़
Charged Voted Total

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूंजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित स्वीकृत जोड़
Charged Voted Total

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

3456-नागरिक आपूर्ति

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3456-Civil Supplies

... 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के तहत नए शीर्ष खोलना (₹ 2.95 करोड़) अन्य प्रभार (₹ 3.30 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

opening of new heads and making provision under Grants-in-aid General (₹ 2.95 crore), Other Charges (₹ 3.30 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under the scheme of Integrated Consumer Grievance Redressal System.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	173735.00	173735.00
पूंजी	Capital	...	50424.10	50424.10
जोड़	Total	...	224159.10	224159.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	463.31	463.31
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	463.31	463.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	224622.41	224622.41
राजस्व	Revenue	...	174198.31	174198.31
पूंजी	Capital	...	50424.10	50424.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	463.31	463.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन योजना के तहत राज्य सरकार को अनुदान सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 2.00 करोड़ के अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए
- चीनी मिलों को सहायता स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान करने के लिए (₹ 500 करोड़)।
- चीनी के बड़ा स्टॉक तैयार करने व रख-रखाव स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान के लिए (₹ 500 करोड़)।
- सरकारी ऋण माफ करने के परिणामस्वरूप पेन्ट ब्याज व आयकर देयता के भुगतान के लिए हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के ऋण और ब्याज माफ करने के लिए (₹ 143.57 करोड़)।
- हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम संबंधी ऋण और ब्याज माफी (₹ 463.31 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए और (₹ 463.31 करोड़) के बराबर राशि की प्राप्ति से उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- providing Grants-in-aid-General to State Government of Maharashtra under Integrated Management of Public Distribution System Scheme (₹ 2 crore).
- providing subsidy under the scheme for Assistance to Sugar Mills (₹ 500 crore).
- providing subsidy under the scheme for Creation & Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 500 crore).
- providing Grants-in-aid General to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and Income Tax liability as a result of waiver of Govt. of India loan (₹ 143.57 crore).
- waiver of loan and interest in respect of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹ 463.31 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant and matched by equivalent amount of receipts of ₹ 463.31 crore, the above expenditure will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	567.65	567.65
पूंजी	Capital	...	26.50	26.50
जोड़	Total	...	594.15	594.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	594.16	594.16
राजस्व	Revenue	...	567.66	567.66
पूंजी	Capital	...	26.50	26.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
भारत शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹10.07 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:
Grants-in-aid-Salaries for Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI) (₹10.07 crore) .
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2764.28	2764.28
पूंजी	Capital	...	79.04	79.04
जोड़	Total	...	2843.32	2843.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
जोड़	Total	...	150.02	150.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2993.34	2993.34
राजस्व	Revenue	...	2764.30	2764.30
पूंजी	Capital	...	229.04	229.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	150.00 (गक)	150.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	150.02	150.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 1. संग्रहालयों को सहायता ₹ 1.70 करोड़ (सामान्य घटक के अंतर्गत ₹ 1.40 करोड़ और टीएसपी घटक के लिए ₹ 0.30 करोड़), 2. अकादमियों को सहायता (₹ 36.14 करोड़), 3. बौद्ध-तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 6.01 करोड़) (बुद्ध जयंती समारोह-सामान्य घटक के लिए ₹ 4.69 करोड़, टीएसपी घटक के लिए ₹ 0.30 करोड़, स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए ₹ 0.42 करोड़, अनुदान-ग्राही निकायों के लिए ₹ 0.60 करोड़), 4. पुस्तकालयों को सहायता (₹ 19.00 करोड़) और 5. शताब्दी एवं वर्षगांठ समारोह (₹ 150 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। (ii) 1. अकादमियों को सहायता (₹ 3 करोड़), 2. बुद्ध जयंती समारोह के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 8.05 करोड़), 3. संग्रहालयों को सहायता-अर्धकुंभ मेले के लिए (₹ 9.60 करोड़), 4. सीआईएचटीएस में सोवा रिग्पा भवन के निर्माण के लिए बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 21.22 करोड़), 5. संग्रहालयों को सहायता-राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के निर्माण के लिए (₹ 45.86 करोड़) और 6. शताब्दी एवं वर्षगांठ समारोह (₹ 150 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन के लिए अनुदान। (iii) 1. बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता (₹ 1.50 करोड़), 2. सेवा भोज योजना (₹ 150 करोड़) (कला संस्कृति योजना-अम्ब्रेला) (घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.10 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.20 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.20 करोड़), अन्य प्रभार (₹ 149.50 करोड़)), 3. भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय (संग्रहालयों का विकास-अम्ब्रेला) (₹ 45.25 करोड़) (कार्यालय व्यय (₹ 35 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 1.25 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 4 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 5 करोड़)) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. Support to Museums ₹ 1.70 crore (₹ 1.40 crore under General component and ₹ 0.30 crore for TSP component), 2. Support to Akademies (₹ 36.14 crore), 3. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 6.01 crore) (₹ 4.69 crore for Buddha Jayanti Celebrations - General Component, ₹ 0.30 crore for TSP component, ₹ 0.42 crore for Swachhta Action Plan, ₹ 0.60 crore for Grantee Bodies), 4. Support to Libraries (₹ 19.00 crore) and 5. Centenary & Anniversary Celebration (₹ 150 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 1. Support to Akademies (₹ 3 crore), 2. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials for Buddha Jayanti Celebrations (₹ 8.05 crore), 3. Support to Museums - for Ardh Kumbh Mela (₹ 9.60 crore), 4. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials for Construction of Sowa Rigpa Bhawan at Central Institute for Higher Tibetan Studies (CIHTS) (₹ 21.22 crore), 5. Support to Museums - for Construction of National Museum institute (₹ 45.86 crore) and 6. Centenary & Anniversary Celebration (₹ 150 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme 1. Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorial (₹ 1.50 crore), 2. Sewa Bhoj Yojana (Kala Sanskriti Yojana-Umbrella) (₹ 150 crore) {(Domestic Travel Expenses (₹ 0.10 crore), Other Administrative Expenditure (₹ 0.20 crore), Professional Services (₹ 0.20 crore), Other Charges (₹ 149.50 crore)}, 3. Museum on Prime Ministers of India (Development of Museums-Umbrella) (₹ 45.25 crore) {Office Expenses (₹ 35 crore), Advertisement & Publicity (₹ 1.25 crore), Professional Services (₹ 4 crore) and Office Expenses (₹ 5 crore)}.

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.77 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) 1. कला संस्कृति विकास योजना (₹ 20 करोड़), 2. राष्ट्रीय पुस्तकालय (₹ 4.28 करोड़), 3. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (₹ 11.30 करोड़) और 4. संग्रहालयों के विकास के तहत भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय (₹ 150 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्य।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 150 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under the scheme Support to Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the scheme 1. Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 20 crore), 2. National Library (₹ 4.28 crore), 3. National Gallery of Modern Arts (₹ 11.30 crore) and 4. Museum on Prime Ministers of India (₹ 150 crore) under Development of Museums

Taking into account the surrender of savings of ₹ 150 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.76	28457.28	28458.04
पूँजी	Capital	35.00	6616.73	6651.73
जोड़	Total	35.76	35074.01	35109.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1057.84	1057.84
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	1057.84	1057.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	35.76	36131.85	36167.61
राजस्व	Revenue	0.76	29515.12	29515.88
पूँजी	Capital	35.00	6616.73	6651.73
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	1057.84	1057.84

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए ₹ 1,157.84 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचत के मद्देनजर ₹ 1,057.84 करोड़ की शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक मांगा जाता है।

चूंकि इस अनुदान के पूँजी भाग के अन्तर्गत हुई बचत से इस व्यय की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1,157.84 crore towards salary and allowances in respect of employees of Border Roads Organisation. After taking into account the saving of ₹ 100 crore available within the same section of the Grant, a technical supplementary for the balance amount of ₹ 1,057.84 crore is sought.

As this will be matched by equivalent savings under Capital section of the grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2326.00	2326.00
पूँजी	Capital	...	734.00	734.00
जोड़	Total	...	3060.00	3060.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	110.00	110.00
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	110.00	110.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3170.00	3170.00
राजस्व	Revenue	...	2436.00	2436.00
पूँजी	Capital	...	734.00	734.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	110.00	110.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एनईआरसीओआरएम एस परियोजना का संवर्धन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 48 करोड़) और विज्ञापन एवं प्रचार, प्रकाशन एवं सूचना तथा जनसंपर्क (₹ 15 करोड़) (ii) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एनईआरसीओआरएस परियोजना का संवर्धन के लिए पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 12 करोड़) और उत्तर-पूर्व परिषद की स्कीमें (₹ 50 करोड़); और (iii) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 5 करोड़), उत्तर-पूर्व परिषद स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए।

अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 110 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 20 करोड़ की बचत का उपयोग करने के पश्चात, उपर्युक्त में किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

The supplementary Grant is required for:

Providing (i) 'Grants-in-Aid General' for 'Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region' (₹ 48 crore) and 'Advertisement and Publicity, Publications and Information and Public Relations' (₹ 15 crore); (ii) 'Grants for Creation of Capital Assets for 'Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region' (₹ 12 crore) and 'Schemes of North Eastern Council' (₹ 50 crore); and (iii) additional fund under the heads' Other Administrative Expenses' (₹ 5.00 crore), under the scheme 'North Eastern Council'.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 110 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 20 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22356.60	22356.60
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	22356.60	22356.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	22356.61	22356.61
राजस्व	Revenue	...	22356.61	22356.61
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 95 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Providing additional fund for Advertising and Publicity under the scheme 'National Rural Drinking Water Programme' (₹ 95 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1704.28	1704.28
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	1804.28	1804.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1804.29	1804.29
राजस्व	Revenue	...	1704.28	1704.28
पूंजी	Capital	...	100.01	100.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए "भूकंप-विज्ञान तथा भू-विज्ञान (एसएजीई)" स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान (₹ 2.50 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing additional Grant (₹ 2.50 crore) under the Scheme "Seismological and Geoscience (SAGE)" for acquisition of land for construction of NCS building at Noida (UP).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>	
	<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5675.00	5675.00
पूंजी	Capital	...	325.00	325.00
जोड़	Total	...	6000.00	6000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	200.01	200.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	200.01	200.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6200.01	6200.01
राजस्व	Revenue	...	5875.01	5875.01
पूंजी	Capital	...	325.00	325.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>	
	<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	200.00 (खब)	200.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	200.01	200.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'अन्य प्रभार' हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 40 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) सामान्य घटक (₹ 401.78 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति घटक (₹ 21 करोड़) और (iii) अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 33 करोड़) के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'अन्य प्रभार' और 2. 'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एचडब्ल्यू विनिर्माण का संवर्धन' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।
मांग सं. 29-आर्थिक कार्य विभाग में उपलब्ध ₹ 200 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के पश्चात्, उपर्युक्त के लिए किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments for North Eastern Region (NER) (₹ 40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 1. 'Other Charges' for Promotion of Digital Payments for (i) General Component (₹ 401.78 crore) (ii) Scheduled Caste Component (₹ 21 crore) and (iii) Scheduled Tribe Component (₹ 33 crore) 2. Grants in aid General under 'Promotion of Electronics and IT HW manufacturing' (₹ 50 crore)
Taking into account the surrender of savings of ₹ 200 crore available in the Demand No. 29-Department of Economic Affairs, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2594.67	2594.67
पूंजी	Capital	...	88.75	88.75
जोड़	Total	...	2683.42	2683.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	50.01	50.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	50.01	50.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2733.43	2733.43
राजस्व	Revenue	...	2644.68	2644.68
पूंजी	Capital	...	88.75	88.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	50.00	(का)	50.00
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	50.01		50.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	(-)50.00		(-)50.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि से वित्तपोषित की जाने वाली नई स्कीम 'राष्ट्रीय प्राधिकरण' के लिए एक बजट लाइन खोलने के लिए वेतन, डीटीई, सामान्य सहायता अनुदान आदि के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)।
चूंकि स्कीम राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि से वित्तपोषित होती है, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (I) एकीकृत प्रबंधन आर्द्रभूमि जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं नामक नई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु नया बजट शीर्ष सामान्य सहायता अनुदान खोलना (₹ 0.50 करोड़)।
(II) सालिम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र (एसएसीओएन) को वेतन सहायता के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों हेतु नया बजट शीर्ष वेतन सहायता अनुदान खोलना (₹ 5.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards Salary, DTE, Grants in aid General etc. for opening a budget line for new scheme 'National Authority' to be financed from National Compensatory Afforestation Fund (₹ 50 crore).
As the scheme is funded from National Compensatory Afforestation Fund, this will not entail any cash out go.
- (b) (I) Opening a new budget head Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) to Conservation of Aquatic Ecosystems (EAP) for a new Externally Aided Project namely Integrated Management Wetland Biodiversity and Ecosystem Services.
(II) Opening a new budget head Grants-in-aid Salaries (₹ 5.50 crore) to Centres of Excellence for salaries support to Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History (SACON).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	13374.47	13374.50
पूंजी	Capital	...	1636.50	1636.50
जोड़	Total	0.03	15010.97	15011.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	250.00	250.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	250.01	250.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	15260.98	15261.01
राजस्व	Revenue	0.03	13624.47	13624.50
पूंजी	Capital	...	1636.51	1636.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	250.00	(का) 250.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	250.01	250.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अफगानिस्तान को सहायता (₹ 75 करोड़) - (ii) मॉरिशस को सहायता - (₹ 175 करोड़) (iii) भूटान को सहायता-मंगदेचू एचईपी के लिए वृद्धि की मांग है (₹ 87 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 250 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के पश्चात्, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भूटान को सहायता - भूटान एचईपी के लिए स्वचालित पारेषण प्रणाली के लिए अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 71 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Aid to Afghanistan (₹ 75 crore) (ii) Aid to Mauritius- (₹ 175 crore) (iii) Aid to Bhutan- Enhancement is sought for Manghdhechu Hydro Electric Project (HEP) (₹ 87 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 250 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) meeting expenditure towards Aid to Bhutan- Loans & Advances for other projects for Automated Transmission system for Bhutan Hydro Electric Projects (HEPs) (₹ 71 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4871.23	4871.23
पूंजी	Capital	...	13458.23	13458.23
जोड़	Total	...	18329.46	18329.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	18329.51	18329.51
राजस्व	Revenue	...	4871.26	4871.26
पूंजी	Capital	...	13458.25	13458.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	0.01 (का)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (खब)	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	0.01 (घद)	0.01
7466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	7466-Loans to International Financial Institutions	...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.05	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान (₹ 94.63 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि को अंशदान (₹ 9.90 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत जीआईजेड द्वारा अदा किए गए करों की प्रतिपूर्ति (₹ 10 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) में भारत की सदस्यता के अभिदान के लिए भारत की आकस्मिक निधि में प्रतिपूर्ति (₹ 14.32 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) अफ्रीका विकास बैंक (एफडीबी) को ब्रिज ऋण की अंतिम किस्त (₹ 34 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) (₹ 94.63 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation (₹ 9.90 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) reimbursement of taxes paid by GIZ under the Indo-German Bilateral Development Co-operation (₹ 10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) recoupment of contingency Fund of India for subscription of India's membership to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (₹ 14.32 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) final instalment of Bridge Loan to African Development Bank (AfDB) (₹ 34 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1739.05	1739.05
पूंजी	Capital	...	69838.01	69838.01
जोड़	Total	...	71577.06	71577.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	20.00	20.00
जोड़	Total	...	20.00	20.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	71597.06	71597.06
राजस्व	Revenue	...	1739.05	1739.05
पूंजी	Capital	...	69858.01	69858.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	20.00	20.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के हितलाभ की अधिग्रहण लागत के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए ₹ 20 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

additional requirement for acquisition cost of Reserve Bank of India's stake in NABARD (₹ 20 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the technical supplementary of ₹ 20 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	44.00	44.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	44.00	44.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	27.15	27.15
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	27.15	27.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	71.15	71.15
राजस्व	Revenue	...	71.15	71.15
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	27.15	27.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना संबंधी व्यय (i) विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 19.56 करोड़) (ii) लघु कार्य (₹ 2.5 करोड़) और (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 7.59 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2.5 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 27.15 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

establishment related expenditure (i) Advertisement and Publicity (₹ 19.56 crore), (ii) Minor works (₹ 2.5 crore) and (iii) Professional Services (₹ 7.59 crore).

Taking into account the savings of ₹ 2.5 crore available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 27.15 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>	
	<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6728.00	6728.00
पूंजी	Capital	...	254.00	254.00
जोड़	Total	...	6982.00	6982.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6982.02	6982.02
राजस्व	Revenue	...	6728.00	6728.00
पूंजी	Capital	...	254.02	254.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>	
	<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (का)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एर्नाकुलम , केरल में कार्यालय परिसर का निर्माण (₹ 12 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) अन्ना नगर चेन्नै में क्वार्टरों का निर्माण (₹ 30.00 करोड़), गया, बिहार, (₹ 0.20 करोड़), महादेवली टोंक, जयपुर (₹ 1.02 करोड़) और इनकम टैक्स कॉलोनी, सीबीडी, बेलापुर, नवी मंबई में पम्प रूम एवं नई वाटर सप्लाई लाइन आदि का निर्माण (₹ 0.40 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Construction of office complex at Ernakulam, Kerala (₹ 12 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Construction of quarters at Anna Nagar, Chennai (₹ 30 crore), Gaya, Bihar (₹ 0.20 crore), Mahadevali Tonk, Jaipur (₹ 1.02 crore) and construction of Pump Room & new water supply line etc. at Income Tax Colony, CBD Belapur, Navi Mumbai (₹ 0.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	7418.00	7418.50
पूंजी	Capital	...	407.00	407.00
जोड़	Total	0.50	7825.00	7825.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7825.01	7825.51
राजस्व	Revenue	0.50	7418.01	7418.51
पूंजी	Capital	...	407.00	407.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2042-केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	2042-Collection Charges under Central Goods and Services Tax and Integrated Goods and Services Tax	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के अन्तर्गत संग्रहण प्रभारों की गणन प्रक्रिया में संशोधन (₹ 3500 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Amendment in accounting procedure of collection charges under Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST) (₹ 3500 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	160.53	4453.59	4614.12
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
जोड़	Total	160.53	4469.59	4630.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	14.00	14.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	14.00	14.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	160.53	4483.59	4644.12
राजस्व	Revenue	160.53	4467.59	4628.12
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	14.00	14.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान कार्यालयों के पुनर्विन्यास तथा अमरावती में दो कार्यालयों को बनाने के कारण कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए 14.05 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को पट्टा प्रभारों का भुगतान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 14 करोड़)।

उपरोक्त खर्च में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards payment of lease charges to Andhra Pradesh Government for allocation of 14.05 acres of land for construction of office building and residential colony on account of re-organisation of existing offices in Andhra Pradesh as well as creation of two offices at Amravati (₹ 14 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 41
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1400.00	1400.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1400.00	1400.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1400.02	1400.02
राजस्व	Revenue	...	1400.02	1400.02
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(क) (a)	0.01
2552-पूर्वार्ध क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) (b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्कीम "आपरेशन ग्रीन्स" के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य घटक) (₹ 163.50 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (₹ 8 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (जनजातीय उप योजना) (₹ 8 करोड़) एवं व्यवसायिक सेवाओं (₹ 0.50 करोड़) के लिए उपलब्ध कराना।
- (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान को भूमि लागत का भुगतान करने के लिए (₹ 44.01 करोड़) जारी करना।
- (iii) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 0.19 करोड़) अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।
- (iv) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 0.80 करोड़) उपलब्ध कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) स्कीम "आपरेशन ग्रीन्स" के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़) उपलब्ध कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) release of Grants-in-aid-General (General component- ₹ 163.50 crore, Scheduled Caste Sub Plan - ₹ 8 crore and Tribal Sub Plan - ₹ 8 crore) and Professional Services (₹ 0.50 crore) under the scheme Operation Greens.
- (ii) release of Grants for creation of Capital Assets for payment of cost of land to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (₹ 44.01 crore).
- (iii) providing additional funds for Professional Services under the scheme for Creation of Backward and Forward Linkages (₹ 0.19 crore).
- (iv) providing additional funds for Professional Services under the scheme of Human Resources and Institutions (₹ 0.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) release of Grants-in-aid-General under the scheme Operation Greens (₹ 20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	74349.45	74349.45
पूंजी	Capital	...	2720.40	2720.40
जोड़	Total	...	77069.85	77069.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	77069.91	77069.91
राजस्व	Revenue	...	74349.49	74349.49
पूंजी	Capital	...	2720.42	2720.42
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (डे)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (₹ 2793.60 करोड़) और 2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹ 5 करोड़)। (ii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 335 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.58 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन/आरएसबीवाई (₹ 358.40 करोड़) 2. आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पीपीआई कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नियंत्रण कार्यक्रम सहित (₹ 27.58 करोड़-₹ 18.48 करोड़, सामान्य के लिए ₹ 1.65 करोड़, एससीएसपी के लिए और ₹ 7.45 करोड़, टीएसपी के लिए) 3. आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पीपीआई कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नियंत्रण कार्यक्रम सहित-ईएससी (₹ 25 करोड़-₹ 16.75 करोड़, सामान्य के लिए ₹ 1.50 करोड़, एससीएसपी के लिए और ₹ 6.75 करोड़, टीएसपी के लिए) 4. स्वास्थ्य पद्धति सुदृढीकरण के तहत एनआरएचएन के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य पद्धति

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. Ayushman Bharat - National Health Protection Mission- (₹ 2793.60 crore) and 2. Food Safety & Standards Authority of India (₹ 5 crore). (ii) Grant for Creation of Capital Assets under the scheme Food Safety & Standards Authority of India (₹ 335 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General under the scheme Population Research Centres (₹ 8.58 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-aid General under the schemes 1. Ayushman Bharat-National Health Protection Mission/RSBY-(₹ 358.40 crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, PPI Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (GC) (₹ 27.58 crore - ₹ 18.48 crore for General, ₹ 1.65 Crore for SCSP and ₹ 7.45 crore for TSP), 3. RCH Flexible Pool including routine Immunization Programme, PPI Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme - EAC (₹ 25 crore - ₹ 16.75 crore for General, ₹ 1.50 crore for SCSP and ₹ 6.75 Crore for TSP), 4. Other Health System for activities

(₹ 28.76 करोड़- ₹ 20.70 सामान्य घटक के अंतर्गत, ₹ 2.88 एससीएसपी घटक के लिए और ₹ 5.18 टीएसपी घटक के लिए) 5. राज्य औषध विनियामक पद्धति का सुदृढीकरण (₹ 17.36 करोड़- ₹ 5.03 करोड़ सामान्य घटक, ₹ 0.95 करोड़ एससीएसपी घटक और ₹ 11.38 करोड़ टीएसपी घटक) 6. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग (₹ 5.05 करोड़) और 7. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान इफाल (₹ 22.42 करोड़) (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान-1. एनआरएचएन के साथ फॉरवर्ड लिंकेज (₹ 101.26 करोड़) 2. स्वास्थ्य पद्धति के सुदृढीकरण के तहत एनआरएचएन के अंतर्गत क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य पद्धति (₹ 3.20 करोड़-₹ 2.30 करोड़-सामान्य घटक, ₹ 0.32 करोड़ एससीएसपी घटक के लिए और ₹ 0.58 करोड़, टीएसपी घटक के लिए), 3. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग (₹ 40 करोड़) और 4. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान इफाल (₹ 11.90 करोड़) (iii) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सुदृढीकरण के लिए सामग्री सहायता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 300 करोड़)। (d)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ड) (i) स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य 1. आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (₹ 50 करोड़) 2. लेडी हार्डिंग स्वास्थ्य स्कूल, नई दिल्ली (₹ 2.50 करोड़) 3. डब्ल्यूएचओ का पुनर्गठन केवल एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली (₹ 50 करोड़) और 4. डॉ. राममनोहर लोहिया पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (₹ 99.27 करोड़ हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण हेतु) (ii) डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली (₹ 5 करोड़), मशीनरी और उपकरण हेतु। (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 14.55 करोड़)- (₹ 13.90 करोड़) मशीनरी और उपकरण के लिए तथा (₹ 0.65 करोड़) मोटर वाहनों के लिए। (e)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (च) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्य स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 4 करोड़)। (f)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

under NRHM under Health System Strengthening (₹ 28.76 crore- ₹ 20.70 crore under General component, ₹ 2.88 crore for SCSP component and ₹ 5.18 crore for TSP component), 5. Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 17.36 crore - ₹ 5.03 crore - General component, ₹ 0.95 crore - SCSP component and ₹ 11.38 crore - TSP component), 6. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical Sciences, Shillong (₹ 5.05 crore) and 7. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 22.42 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets - 1. Forward Linkages to NRHM (₹ 101.26 Crore), 2. Other Health System for activities under NRHM under Health System Strengthening (₹ 3.20 Cr - ₹ 2.30 Crore - General component, ₹ 0.32 Crore for SCSP component and ₹ 0.58 Cr for TSP component), 3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical Sciences, Shillong (₹ 40 crore) and 4. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 11.90 crore). (iii) Grant in aid Salaries under the scheme North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & medical Sciences, Shillong (₹ 8 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional Requirement under the scheme Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme (₹ 300 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Major Works under the scheme 1. Ayushman Bharat-National Health Protection Mission (₹ 50 crore), 2. Lady Reading Health School, New Delhi (₹ 2.50 crore), 3. Reconstruction of WHO-SEARO Building, New Delhi (₹ 50 crore) and 4. Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 99.27 crore. for construction of Hostel Block, (ii) Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 5 crore) for Machinery & Equipment, (iii) Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi. (₹ 14.55 crore)- (₹ 13.90 crore. for Machinery & Equipment and ₹ 0.65 crore. for Motor Vehicles)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional requirement under the scheme Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 4 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	739.24	739.24
पूंजी	Capital	...	386.49	386.49
जोड़	Total	...	1125.73	1125.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1125.75	1125.75
राजस्व	Revenue	...	739.24	739.24
पूंजी	Capital	...	386.51	386.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	...	0.01	(का)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) के शेष कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की देयताओं के भुगतान के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 29.06.2017 के आदेश का अनुपालन और संघ सरकार द्वारा दायर एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.02.2018 के आदेश से खारिज करने के लिए एचपीएफ को स्वीकृत सीएफआई अग्रिम (₹ 16 करोड़) की प्रतिपूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसी) के कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए एचपीसी की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 90.00 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Recoupment of CFI Advance of Rs16 crore sanctioned to Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd (HPF) to comply with Hon'ble Madras High Court order dated 29.06.2017 and dismissal of SLP filed by UoI by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 19.02.2018 for payment of VRS dues of remaining employees in the HPF. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional requirement of ₹ 90.00 crore of Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPC) for payment of salary/wages and statutory dues to its employees. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4468.89	4468.91
पूंजी	Capital	...	324.45	324.45
जोड़	Total	0.02	4793.34	4793.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2.17	0.01	2.18
पूंजी	Capital
जोड़	Total	2.17	0.01	2.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.19	4793.35	4795.54
राजस्व	Revenue	2.19	4468.90	4471.09
पूंजी	Capital	...	324.45	324.45

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged		स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	2.17	(का)	...		2.17
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...		0.01	(खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	2.17		0.01		2.18

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार के दौरान जोधपुर में नजरबन्द रखे गए उन कैदियों को मुआवजा देने के न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन (₹ 2.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में (स्वीकृत में) उपलब्ध समान वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) जम्मू और कश्मीर में बस चुके पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकोतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) implementation of Court Order in respect of payment of compensation to detainees from Jodhpur arrested during Operation Blue Star (₹ 2.17 crore).

Taking into account the matching recoveries available in the same section (voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) providing financial assistance to families of West Pakistan Refugees (WPRs) settled in Jammu and Kashmir (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	770.00	770.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	770.00	770.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	150.00	150.00
पूंजी	Capital	...	715.89	715.89
जोड़	Total	...	865.89	865.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1635.89	1635.89
राजस्व	Revenue	...	920.00	920.00
पूंजी	Capital	...	715.89	715.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद्	2013-Council of Ministers	...	150.00	(क) 150.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	715.89	(ख) 715.89
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	865.89	865.89

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वीएसएनएल और एयर इंडिया को 'अन्य प्रभारों' के अन्तर्गत प्रतिबद्ध तथा प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 150 करोड़)। उपर्युक्त में नकद व्यय होगा;
- (ख) अंतरिक्ष अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 715.89 करोड़)। उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) releasing the committed and anticipated expenditure under 'other charges' to VSNL and Air India (₹ 150 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting expenditure on Space Infrastructure (₹ 715.89 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

**पुलिस
POLICE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	9.56	77305.24	77314.80
पूंजी	Capital	6.10	11057.35	11063.45
जोड़	Total	15.66	88362.59	88378.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	516.31	516.31
पूंजी	Capital	...	25.64	25.64
जोड़	Total	...	541.95	541.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15.66	88904.54	88920.20
राजस्व	Revenue	9.56	77821.55	77831.11
पूंजी	Capital	6.10	11082.99	11089.09
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	27.21 (क)	27.21
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	489.10 (ख)	489.10
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	516.31	516.31
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	25.64 (ग)	25.64
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	541.95	541.95
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2055-पुलिस	2055-Police	...	(-)27.21	(-)27.21
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)489.10	(-)489.10
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)516.31	(-)516.31
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	(-)25.64	(-)25.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए डीएनए किटें (₹ 5.71 करोड़), (ii) राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस) द्वारा 1000 चिकित्सकों का प्रशिक्षण (₹ 1.38 करोड़), (iii) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन पर प्रशासनिक व्यय (₹ 0.50 करोड़) और (iv) सीएफएसएल चंडीगढ़ में अत्याधुनिक फॉरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला के लिए प्रशासनिक व्यय (₹ 19.62 करोड़) हेतु महिला सुरक्षा प्रभाग के लिए।
निर्भया निधि से समतुल्य वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;
- (ख) (i) पांच शहरों (अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजना (₹ 439.10 करोड़) और (ii) चार राज्यों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (₹ 50.00 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Women Safety Division for (i) DNA Kits for training by Bureau of Police Research and Development (BPR&D) (₹ 5.71 crore), (ii) training of 1000 doctors by National Institute of Criminology and Forensic Sciences (NICFS) (₹ 1.38 crore), (iii) Administrative Expenses on National Mission for Safety of Women (₹ 0.50 crore) and (iv) Administrative expenditure for State-of-the-art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh (₹ 19.62 crore).
- Taking into account the matching recoveries from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) (i) Safe City projects in five cities (Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai) (₹ 439.10 crore) and (ii) Strengthening of State Forensic Science Labs of four states (₹ 50.00 crore).

(ग) निर्भया निधि से समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;
सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना (c)
(₹ 25.64 करोड़)
निर्भया निधि से समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा;

Taking into account the matching recoveries from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; setting up of state-of-the-art Forensic DNA lab at CFSL, Chandigarh (₹ 25.64 crore).

Taking into account the matching recoveries from the Nirbhaya Fund , the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	3992.99	3993.00
पूंजी	Capital	...	600.86	600.86
जोड़	Total	0.01	4593.85	4593.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	86.00	86.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	86.00	86.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	4679.85	4679.86
राजस्व	Revenue	0.01	4078.99	4079.00
पूंजी	Capital	...	600.86	600.86
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	86.00	86.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण चुंगी से प्राप्त राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 86 करोड़)। ₹ 30 करोड़ की अग्रिम राशि भारत की आकस्मिक निधि से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी जिसकी प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त में ₹ 86 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting establishment expenditure of Port Blair Municipal Council (PBMC) to compensate loss of revenue from octroi due to implementation of GST (₹ 86 crore). An amount of ₹ 30 crore obtained from the Contingency Fund of India as advance is proposed to be recouped.

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 86 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	1364.06	1364.08
पूंजी	Capital	...	311.41	311.41
जोड़	Total	0.02	1675.47	1675.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	1675.49	1675.51
राजस्व	Revenue	0.02	1364.07	1364.09
पूंजी	Capital	...	311.42	311.42

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (I) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए निर्माण कार्यों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।
- (ख) (II) दीव जिले में स्मार्ट सिटी के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के साथ निवेश के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (I) meeting the additional requirement of ₹ 5 crore under 'Grant-in-aid General' to carry out works for Smart city at Diu district.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (II) meeting the additional requirement of ₹ 10 crore under Investment with SPV for Smart City at Diu District.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	88.22	25509.93	25598.15
पूंजी	Capital	101.16	16314.69	16415.85
जोड़	Total	189.38	41824.62	42014.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	0.07	0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	189.38	41824.69	42014.07
राजस्व	Revenue	88.22	25509.96	25598.18
पूंजी	Capital	101.16	16314.73	16415.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing	...	0.01 (का)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (घद)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (डे)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (चफ)	0.01
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	...	0.01 (छग)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.04	0.04
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.07	0.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एलआईडी हेतु सीएलएस-1 के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी संवितरित करने के लिए (₹ 300 करोड़), (ii) बीएमटीपीसी द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ 672 करोड़) और (iii) ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया प्रतियोगिता आयोजित करना (₹ 250 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) शहर स्तर पर सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत सीआईटीआईआईएस (नवपरिवर्तन, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहरी निवेश) 100 स्मार्ट सिटीज हेतु मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान का नया शीर्ष खोलना (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) सीआईटीआईआईएस (नवपरिवर्तन, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहरी निवेश) के लिए 100 स्मार्ट सिटीज हेतु मिशन के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु नया शीर्ष अनुदान खोलना ₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) निम्नलिखित नए निर्माण कार्य (i) नई दिल्ली, मुंबई और बिलासपुर में सामान्य पूल आवास (₹ 71.20 करोड़)। (ii) नई दिल्ली में फिल्टर न किए गए जलापूर्ति लाइने/ग्रिड प्रदान करना/बिछाना (₹ 4.53 करोड़)। (iii) आयोजना और वास्तुकला स्कूल (₹ 5 करोड़)। (iv) प्रेजीडेंसियल डायस (₹ 5 करोड़) (v) गणतंत्र दिवस समारोह (₹ 5 करोड़) (vi) सेंट्रल विस्ता (₹ 18 करोड़) (vii) शास्त्री भवन में पार्किंग (₹ 0.50

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) meeting expenditure towards disbursement of subsidy to the beneficiaries for Credit Link Subsidy Scheme-I for LIG (₹ 300 Crore), (ii) payment of interest on loan taken by BMTPC (₹ 672 crore) and (iii) organising competition on Global Housing Technology Challenge-India (₹ 250 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) opening of new head GIA-General under Mission for 100 Smart Cities for CITIIS (City Investment to Innovate, Integrate and Sustain) at City Level under GIA General (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) opening new head Grants for Creation of Capital Assets under Mission for 100 Smart Cities for CITIIS (City Investment to Innovate, Integrate and Sustain) (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) General Pool Accommodation at New Delhi, Mumbai and Bilaspur (₹ 71.20 crore), (ii) Providing & laying unfiltered water supply lines/grids in New Delhi (₹ 4.53 crore), (iii) School of Planning & Architect (₹ 5 crore), (iv) Presidential Dias (₹ 5 crore), (v) Republic Day Celebration (₹ 5 crore), (vi) Central Vista (₹ 18 crore), (vii) parking at Shastri Bhawan

करोड़) (viii) आईटी विभाग, राजस्थान के लिए कार्यालय भवन (₹ 3 करोड़), बिलासपुर (₹ 7 करोड़) और भुवनेश्वर (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ड) निम्नलिखित नए निर्माण कार्य (i) लखनऊ में सामान्य पूल आवासी क्वार्टर और सीपीडब्ल्यूडी पूछताछ कार्यालय (₹ 3.50 करोड़), (ii) इंदौर, मध्यप्रदेश में होलीडे होम (₹ 7 करोड़), वाराणसी, उत्तर प्रदेश (₹ 2 करोड़), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (₹ 2.50 करोड़) (iii) मुंबई में सामान्य पूल रिहायशी आवास (₹ 0.20 करोड़), रायपुर (₹ 25 करोड़), बिलासपुर (₹ 5 करोड़) (iv) बिलासपुर में गेस्ट हाउस और सामुदायिक केंद्र (₹ 1 करोड़) (v) नई दिल्ली में रूफ टॉप सोलर पैनल (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत डीजीजेएमएस, रायगढ़ के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 2 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (छ) पोत परिवहन मंत्रालय के जहाज भवन, मुम्बई के लिए कार्यालय भवन (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(₹ 0.50 crore) and (viii) Office Building for IT Department, Rajasthan (₹ 3 crore), Bilaspur (₹ 7 crore) and Bhubaneswar (₹ 15 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) General Pool Residential Qtrs. and CPWD enquiry office at Lucknow (₹ 3.50 crore), (ii) Holiday Home at Indore, MP (₹ 7 crore), Varanasi, UP (₹ 2 crore), Allahabad, UP (₹ 2.50 crore), (iii) General Pool Residential Accommodation, at Mumbai (₹ 0.20 Crore), Raipur (₹ 25 crore), Bilaspur (₹ 5 crore), (iv) Guest House and community centre at Bilaspur (₹ 1 crore) and (v) Rooftop solar panels at New Delhi (₹ 3.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (f) Construction of Office Building for Directorate General Mines Safety, Raigarh under Major Works (₹ 2 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (g) Office Building for M/o Shipping "Jahaz Bhawan", Mumbai (₹ 0.20 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	82516.30	82516.30
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	82516.30	82516.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	82516.33	82516.33
राजस्व	Revenue	...	82516.33	82516.33
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>
		<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 157.20 करोड़) और 2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 297.3 करोड़)। (ii) सीवीएस स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत, आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 811.21 करोड़) (iii) इस स्कीम के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान 1. केवीएस (₹ 752.38 करोड़) और 2. एनवीएस (₹ 301.85 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) इन स्कीमों के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (₹ 350 करोड़) और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹ 45 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. एसएसए (₹ 2608.19 करोड़) 2. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹ 100 करोड़) और 3. भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 157.20 crore) and 2. Navodaya Vidyalaya Samiti(NVS) (₹ 297.30 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NVS (₹ 811.21 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme 1. KVS (₹ 752.38 crore), and 2. NVS (₹ 301.85 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Grants-in-aid General under the schemes 1. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)(₹ 350 crore), and Appointment of Language Teachers (₹ 45 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Grants-in-aid General under the schemes 1. SSA (₹ 2608.19 crore), 2. Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 100 crore), and 3. Appointment of Language Teachers (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित	स्वीकृत	जोड़
	Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	Revenue	...	46778.08
पूंजी	Capital	...	2752.00
जोड़	Total	...	49530.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	Revenue	...	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	49530.11
राजस्व	Revenue	...	46778.11
पूंजी	Capital	...	2752.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित	स्वीकृत		जोड़
	Charged	Voted		Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(का) 0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01	(खब) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान - 1. केंद्रीय सरकार द्वारा संवर्धित डीम्ड विश्वविद्यालय [₹ 30 करोड़], 2. समुदाय कॉलेजों सहित कौशल-आधारित उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता [₹ 40 करोड़], 3. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 58.60 करोड़], 4. सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति अनुसंधान [₹ 25 करोड़], 5. भारत में अध्ययन [₹ 48.50 करोड़] और 6. अकादमिक और अनुसंधान सहयोग में संवर्धन की स्कीम (एसपीएआरसी) [₹ 75 करोड़]। (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान [₹ 10 करोड़], (iii) 1. केंद्रीय सरकार द्वारा संवर्धित डीम्ड विश्वविद्यालय [₹ 300 करोड़], और 2. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 7.75 करोड़], स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान तथा (iv) भारत में अध्ययन स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं [₹ 1.50 करोड़]।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान - 1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), आंध्र प्रदेश [₹ 44 करोड़], नैनो विज्ञान और इंजीनियरी केन्द्र [₹ 8.21 करोड़], भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), आंध्र प्रदेश [₹ 4 करोड़], 4. नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना (नएआईआईटी) [₹ 300 करोड़], 5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-जीबीएस [₹ 135 करोड़] और 6. राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण [₹ 10 करोड़]। (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस), बंगलोर [₹ 33.45 करोड़], 2. प्लानिंग और आर्किटेक्चर के नए स्कूलों की स्थापना [₹ 50 करोड़] और 3. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी [₹ 1 करोड़] स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) 1. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता [₹ 20 करोड़], 2. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), आंध्र प्रदेश [₹ 3 करोड़], 3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)-जीबीएस [₹ 453.45 करोड़], तथा 4. राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण [₹ 4 करोड़] स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 30 crore], 2. Support for skill-based higher education including community colleges [₹ 40 crore], 3. Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 58.60 crore], 4. Impactful Policy Research in Social Science [₹ 25 crore], Study in India (₹ 48.50 crore) and 6. Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC) (₹ 75 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 10 crore), (iii) Grants-in-Aid Salaries under the scheme 1. Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 300 crore], and 2. Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 7.75 crore] and (iv) Professional Services under the scheme Study in India (₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. National Institute of Technology (NIT) Andhra Pradesh [₹ 44 crore], 2. Centre for Nano Science and Engineering [₹ 8.21 crore], 3. Indian Institute of Science for Education Research (IISER) Andhra Pradesh [₹ 4 crore], 4. Setting up of new Indian Institutes of Technology (New IITs) (₹ 300 crore), 5. Indian Institutes of Technology (IITs)-GBS (₹ 135 crore) and 6. National Testing Agency [₹ 10 crore]. (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 1. Indian Institute of Science (IISc), Bangalore [₹ 33.45 crore], 2. Setting up of New Schools of Planning & Architecture [₹ 50 crore], and 3. National Testing Agency [₹ 1 crore] (iii) Grants-in-Aid Salaries under the scheme 1. Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 20 crore], 2. Indian Institute of Science for Education Research (IISER) Andhra Pradesh [₹ 3 crore], 3. National Institutes of Technology (NITs)-GBS [₹ 453.45 crore], and 4. National Testing Agency [₹ 4 Crore].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान - 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)-जीबीएस [₹ 50 करोड़], 2. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [₹ 1 करोड़], और 3. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकीय और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) [₹ 0.26 करोड़], स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान [₹ 13.90 करोड़]
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (c) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. University Grants Commission (UGC)-GBS [₹ 50 crore], 2. Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 1 crore], and 3. Higher Education Statistics And Public Information System (HESPIS) [₹ 0.26 Crore]. (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages [₹ 13.90 crore].
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4065.58	4065.58
पूंजी	Capital	...	23.40	23.40
जोड़	Total	...	4088.98	4088.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4089.00	4089.00
राजस्व	Revenue	...	4065.59	4065.59
पूंजी	Capital	...	23.41	23.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4220-सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	4220-Capital Outlay on Information and Publicity	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसार भारती की उसकी स्कीम अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) प्रयोजन शीर्ष मुख्य कार्य के अंतर्गत चल छायाचित्रों के संग्रहालय की स्थापना (फिल्म्स डिवीजन) स्कीम के लिए (₹ 4.27 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Prasar Bharati under its scheme "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Arun Prabha Channel" under the object head Grants-in-aid-General in North Eastern Area (₹ 20.00 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) the scheme "setting up of Museum of Moving images (Films Division)" under the object head 'Major Works' (₹ 4.27 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6540.04	6540.04
पूंजी	Capital	...	12.57	12.57
जोड़	Total	...	6552.61	6552.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6552.64	6552.64
राजस्व	Revenue	...	6540.06	6540.06
पूंजी	Capital	...	12.58	12.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) (a)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(ख) (b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(ग) (c)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण संवर्धन हेतु प्रयोजन शीर्ष 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'सामान्य सहायता अनुदान' और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत क्रमशः ₹ 0.10 करोड़, ₹ 1.55 करोड़ और ₹ 6.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण संवर्धन हेतु प्रयोजन शीर्ष 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'सामान्य सहायता अनुदान' और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत क्रमशः ₹ 0.10 करोड़, ₹ 0.40 करोड़ और ₹ 12.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (ii) अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रयोजन शीर्ष 'घरेलू यात्रा व्यय', 'कार्यालय व्यय', 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'व्यावसायिक सेवाएं' और 'प्रकाशन' के अंतर्गत क्रमशः ₹ 1 करोड़, ₹ 20 करोड़, ₹ 0.10 करोड़, ₹ 1 करोड़ और ₹ 0.05 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (अनुसूचित जाति घटक) हेतु 'सामान्य सहायता अनुदान' के अंतर्गत ₹ 0.08 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (iv) विपणन संवर्धन और विकास सहायता हेतु 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत ₹ 0.10 करोड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (v) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति घटक तथा अनुसूचित जनजाति घटक के उम्मीदवारों द्वारा वसूले गए प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करने हेतु चालू वर्ष के दौरान प्रत्याशित दावों को निपटाने के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting additional requirement of ₹ 0.10 crore, ₹ 1.55 crore and ₹ 6.34 crore under the object head 'Other Administrative Expenses', 'Grants-in-Aid General' and 'Grants for Creation of Capital Assets' respectively towards Infrastructure Development and Capacity Building Promotion of MSME in NER and Sikkim.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting additional requirement of ₹ 0.10 crore, ₹ 0.40 crore and ₹ 12.40 crore under the object head 'Other Administrative Expenses', 'Grants-in-Aid General' and 'Grants for Creation of Capital Assets' respectively towards Infrastructure Development and Capacity Building Promotion of MSME in NER and Sikkim.
- (ii) Meeting additional requirement of ₹ 1 crore, ₹ 20 crore, ₹ 0.10 crore, ₹ 1 crore and ₹ 0.05 crore under the object head 'Domestic Travel Expenses', 'Office Expenses', 'Other Administrative Expenses', 'Professional Services' and 'Publications' respectively towards Research and Evaluation Studies.
- (iii) Meeting additional requirement of ₹ 0.08 crore under 'Grants-in-Aid General' towards Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (SC Component).
- (iv) Meeting additional requirement of ₹ 0.10 crore under 'Grants for Creation of Capital Assets' towards Marketing Promotion and Development Assistance.
- (v) Meeting additional requirement of ₹ 10 crore under 'Grants-in-Aid General' towards Infrastructure Development Programme and Capacity Building to clear the expected claims during the current financial year to reimburse the training fee for the aspirants of Schedule Caste Component and Schedule Tribe

- करने के लिए।
- (vi) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (सामान्य घटक) हेतु 'सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.11 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (vii) क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के लंबित देयताओं को निपटाने के लिए राजसहायता हेतु राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के अंतर्गत ₹ 829.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) स्थापना-ग्राम और लघु उद्योग हेतु प्रयोजन शीर्ष 'मोटर वाहन', 'मशीनरी और उपस्कर' तथा 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2 करोड़, ₹ 1.20 करोड़ और ₹ 9.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (vi) Component charged by MSME Technology Centres.
Meeting additional requirement of ₹ 0.11 crore under 'Grants-in-Aid General' towards Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (General Component).
- (vii) Meeting additional requirement of ₹ 829.25 crore Under National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) towards 'Subsidies' to clear the pending liabilities of Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting additional requirement of ₹ 2 crore, ₹ 1.20 crore and ₹ 9.80 crore under the object head 'Motor Vehicle', 'Machinery and Equipment' and 'Major Works' respectively towards Establishment-Village and Small Industries.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.05	1899.25	1899.30
पूंजी	Capital	...	170.22	170.22
जोड़	Total	0.05	2069.47	2069.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.05	2069.48	2069.53
राजस्व	Revenue	0.05	1899.26	1899.31
पूंजी	Capital	...	170.22	170.22
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) के लिए प्रयोजन शीर्ष 'घरेलू यात्रा व्यय', किराया, दर और कर', 'कार्यालय प्रशासनिक व्यय', 'व्यावसायिक सेवाएं' तथा 'सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत क्रमशः ₹ 0.40 करोड़, ₹ 1 करोड़, ₹ 0.40 करोड़, ₹ 190.10 करोड़, और ₹ 185 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional requirement of ₹ 0.40 crore, ₹ 1 crore, ₹ 0.40 crore, ₹ 190.10 crore, ₹ 185 crore under the object heads 'Domestic Travel Expenses', 'Rent, Rates and Taxes', 'Office Administrative Expenses', 'Professional Services' and 'Grants-in-aid General' respectively towards National Mineral Exploration Trust (NMET).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	825.17	825.17
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	825.17	825.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	825.21	825.21
राजस्व	Revenue	...	825.21	825.21
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	नई पुनर्गठित स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़), 'व्यावसायिक सेवाएं' (₹ 7.50 करोड़) और 'अन्य प्रभार' (₹ 2.50 करोड़) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Providing funds under 'Grants-in-aid General' (₹ 25 crore), 'Professional Services' (₹ 7.50 crore) and 'Other Charges' (₹ 2.50 crore) under the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (RGSA). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	नई पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों को 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 80.50 करोड़) उपलब्ध करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Providing 'Grants-in-aid General' to North Eastern Areas under the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (RGSA) (₹ 80.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	नई पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 459.41 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 145.85 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Providing 'Grants-in-aid General' (₹ 459.41 crore) and 'Grants for Creation of Capital Assets' (₹ 145.85 crore) to State Governments under the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (RGSA). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	नई पुनर्गठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) स्कीम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 0.02 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.02 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Providing 'Grants-in-aid General' (₹ 0.02 crore) and 'Grants for Creation of Capital Assets' (₹ 0.02 crore) to Union Territory Governments under the restructured scheme 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (RGSA). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.29	1438.68	1442.97
पूँजी	Capital	2.15	81.88	84.03
जोड़	Total	6.44	1520.56	1527.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.09	0.09
जोड़	Total	...	0.10	0.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6.44	1520.66	1527.10
राजस्व	Revenue	4.29	1438.69	1442.98
पूँजी	Capital	2.15	81.97	84.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूँजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.09	(खब)	0.09
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.10		0.10

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत 'विभागीय कैंटीनों का आधुनिकीकरण' के लिए आबंटन करने हेतु (₹ 0.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 'मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत सीबीआई के लंबित भुगतानों को पूरा करने के लिए (₹ 0.09 करोड़)।
अनुदान के राजस्व/पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) making allocation for 'Modernization of Departmental Canteens' under Grants in aid-General (₹ 0.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the pending payment for CBI's under Machinery & Equipments (₹ 0.09 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 71 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	32.61	...	32.61
पूंजी	Capital
जोड़	Total	32.61	...	32.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	...	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	32.62	...	32.62
राजस्व	Revenue	32.62	...	32.62
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) हेतु नकद शीर्ष खाता खोलने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

opening of new head of account for Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 72
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27391.55	27391.55
पूंजी	Capital	...	3709.00	3709.00
जोड़	Total	...	31100.55	31100.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1708.01	1708.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1708.01	1708.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	32808.56	32808.56
राजस्व	Revenue	...	29099.56	29099.56
पूंजी	Capital	...	3709.00	3709.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	1708.00	(का) 1708.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1708.01	1708.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना (₹ 1674.00 करोड़) (ख) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई), विशाखापट्टनम (₹ 32 करोड़), (ग) ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, असम (₹ 1 करोड़) और (घ) ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु (₹ 1 करोड़) के तहत 'पूँजीगत आस्तियों के सृजन' के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र (₹ 70 करोड़) सहित अन्य दी जाने वाली सब्सिडी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियाँ और स्वायत्त निकायों को सहायता पेट्रोलियम लेबोरेटरी सोसाइटी को सहायता योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियाँ (₹ 0.17 करोड़)।

इन अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध (₹ 1708 करोड़) की बचत के अभ्यर्पण हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (₹ 70.17 करोड़) की बचत को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) केरोसीन वितरण सुधार (₹ 177 करोड़) के लिए राज्य सरकारों को नकद प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Providing (i) 'Grants for creation of Capital Assets' under the schemes (a) Phulpur-Dhamra-Haldia Pipeline Project (₹ 1674.00 crore); (b) Indian Institute Petroleum and Energy (IIPE), Visakhapatnam (₹ 32 crore) ; (c) Centre of Excellence for Energy, Assam (₹ 1 crore) and (d) Centre of Excellence for Energy, Bengaluru (₹ 1 crore); (ii) additional funds under the scheme 'Other subsidy payable including North Eastern Region (₹ 70 crore); and (iii) additional funds under the scheme Assistance to Autonomous Bodies-'Society for Petroleum Laboratory' (₹ 0.17 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 1708 crore available in the Capital Section of the Grant and utilizing the savings of ₹ 70.17 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

- (b) Providing 'Grants-in-Aid General' to State Governments under the scheme 'Cash incentive to State Governments for Kerosene Distribution Reforms' (₹ 177 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	338.97	338.97
पूंजी	Capital	...	0.68	0.68
जोड़	Total	...	339.65	339.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	20.90	20.90
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	20.90	20.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	360.55	360.55
राजस्व	Revenue	...	359.87	359.87
पूंजी	Capital	...	0.68	0.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	20.90	20.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) सम्मेलन और एक्सपो आयोजित करवाने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 18.90 करोड़); (ii) विज्ञान भवन और नीति भवन के नवीकरण/रख-रखाव से संबंधित निर्माण के लघु कार्य (₹ 12.21 करोड़); (iii)(ख) योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा- साथ-ई परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े अंतःक्षेप भागीदारों को भुगतान के लिए और एसईक्यूआई में एजेंसियों के विस्तारित कार्य के लिए भुगतान हेतु ₹ 14.73 करोड़ की अतिरिक्त राशि की अपेक्षा एवं (iv) विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए सुदृढ़ीकरण क्षमता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.04 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 20.90 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) 'Other Administrative Expenses' for organizing the Summit and EXPO (₹ 18.90 crore) (ii) 'Minor Works' for the work related to renovation/maintenance of Vigyan Bhawan and NITI Bhawan (₹ 12.21 crore) (iii) Professional Services for payments to the intervention partners from implementation of Project SATH-E and payments towards the extended work of agencies in SEQI (₹ 14.73 crore) & (iv) Grants-in-aid General for "Strengthening Capacities for Decentralized Planning" (₹ 0.04 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 20.90 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13434.97	13434.97
पूंजी	Capital	...	2334.95	2334.95
जोड़	Total	...	15769.92	15769.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	15769.93	15769.93
राजस्व	Revenue	...	13434.98	13434.98
पूंजी	Capital	...	2334.95	2334.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'सहज बिजली हर घर योजना-शहरी' (₹ 800 करोड़) तथा 'सहज बिजली हर घर योजना-ग्रामीण' (₹ 2440 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत 'पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान';

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

'Grant for creation of Capital Assets' under the schemes 'Sahaj Bijli Har Ghar Yojana - Urban' (₹ 800 crore) and 'Sahaj Bijli Har Ghar Yojana- Rural' (₹ 2440 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.15	773.82	774.97
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.15	773.82	774.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.10	20.00	20.10
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.10	20.00	20.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.25	793.82	795.07
राजस्व	Revenue	1.25	793.82	795.07
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.10	(का) 20.00	(खb) 20.10

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एमपी अधिनियम 1954 में वेतन, भत्ते और पेंशन में किए गए हालिया संशोधन के अनुसार माननीय स्पीकर और उप-स्पीकर महोदय के बढ़े हुए वेतन और भत्तों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए ।
उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।
- (ख) एमपी अधिनियम 1954 में वेतन, भत्ते और पेंशन में से हाल में किए गए संशोधन के अनुसार लोकसभा के सांसदों के बढ़े हुए वेतन और भत्तों के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए ।
उपरोक्त पर नकद व्यय होगा ।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional requirement for payment of enhanced salary and allowances of Hon'ble Speaker and Deputy Speaker as per recent amendment to the Salary, Allowances and Pension to MPs Act, 1954.
The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) meeting additional requirement for payment of enhanced salary and allowance to MPs of Lok Sabha as per recent amendment to Salary, Allowances and Pension to MPs Act, 1954.
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.22	386.72	387.94
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.22	386.72	387.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.13	23.84	24.97
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.13	23.84	24.97
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.35	410.56	412.91
राजस्व	Revenue	2.35	410.56	412.91
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	1.13	(का) 23.84	(खb) 24.97

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) माननीय सभापति, राज्य सभा के वृद्धित वेतन तथा माननीय उपसभापति, राज्य सभा के वेतन और भत्तों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें से ₹ 0.74 करोड़ भारत की आकस्मिक निधि में से स्वीकृत किए गए थे, जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान पारित होने के पश्चात् वापस भारत की आकस्मिक निधि में कर दी जाएगी।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

(ख) (i) माननीय नेता, विपक्ष, राज्य सभा तथा सदस्यों, राज्य सभा के वृद्धित वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 23.84 करोड़)। (ii) भारत का दौरा करने वाले विदेशी सांसदों के उपरी सदनों के प्रतिनिधिमंडलों पर नया शीर्ष खोलना (₹ 0.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.20 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 23.84 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Meeting additional expenditure on enhanced Salary of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha and Salary & Allowances of Hon'ble Dy. Chairman, Rajya Sabha . Out of this, ₹ 0.74 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the Contingency Fund of India after the Supplementary grant is passed. The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) (i) Meeting additional expenditure on enhanced Salary of Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha and Members, Rajya Sabha (₹ 23.84 crore). (ii) Opening of new head of account for meeting expenditure on Delegation of the Upper Houses of Foreign Parliaments visiting India (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings of ₹ 0.20 crore available in the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 23.84 crore .

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 80

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	395.93	252703.08	253099.01
पूंजी	Capital	167.46	193103.31	193270.77
जोड़	Total	563.39	445806.39	446369.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	563.39	445806.40	446369.79
राजस्व	Revenue	395.93	252703.08	253099.01
पूंजी	Capital	167.46	193103.32	193270.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) लातूर-मध्य रेलवे हेतु उत्पादन इकाइयों सहित वर्कशॉप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 492.73 करोड़ की लागत से कोच विनिर्माण इकाई की स्थापना;
- (ii) रेलवे बोर्ड के लिए चल संपत्ति शीर्ष के अंतर्गत ₹ 300.00 करोड़ की लागत से ₹ 60 लाख प्रति रैक की दर से 500 रैकों का उन्नयन;
- (iii) वाल्मिकी नगर रोड-पहनीयहवा- पूर्व मध्य रेलवे के लिए पुल निर्माण शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से ₹ 41.92 करोड़ की लागत से गार्डर पुलों (2 अदद) का निर्माण;
- (iv) सोनीपत- उत्तर रेलवे के लिए उत्पादन इकाइयों सहित वर्कशॉप शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से ₹ 96.72 करोड़ तथा ₹ 386.88 करोड़ की लागत से कोच की आवधिक मरम्मत और नवीनीकरण वर्कशॉप की स्थापना;
- (v) झांसी- उत्तर केन्द्रीय रेलवे के लिए उत्पादन इकाइयों सहित वर्कशॉप शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से ₹ 90.98 करोड़ तथा ₹ 363.91 करोड़ की लागत से कोच की आवधिक मरम्मत और नवीनीकरण वर्कशॉप की स्थापना;
- (vi) उत्तर रेलवे के लिए संयुक्त उद्दयम/विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था सहित 'गैर-सरकारी उपक्रमों में निवेश' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1 करोड़ की लागत से नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में निवेश;
- (vii) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 179.50 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 3.59 करोड़ प्रति पैक की दर से टर्बो सुपर चार्जर सहित पावर पैक (50 अदद);
- (viii) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 52.40 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 1.31 करोड़ प्रति असेम्बली की दर से मोटराइज्ड ट्रक असेम्बली (40 अदद);
- (ix) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 27 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 27 लाख प्रति शाफ्ट की दर से बीजी क्रैंक शाफ्ट (100 अदद);
- (x) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 88 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 88 लाख प्रति केस की दर से क्रैंक केस

The supplementary Grant is required for:

- (i) Latur - Setting up of coach manufacturing factory costing ₹ 492.73 crore under the head 'Workshop including Production Units' for Central Railway;
- (ii) Upgradation of 500 rakes at the rate of ₹ 60 lakh per rake costing ₹ 300 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (iii) Valmikinagar Road-Pahniyehawa - Construction of girder bridges (2 Nos) costing ₹ 41.92 crore, through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Bridge Works' for East Central Railway;
- (iv) Sonipat - Setting up of coach periodical overhauling and refurbishment workshop costing ₹ 96.72 crore and ₹ 386.88 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Workshop Including Production Units' for Northern Railway;
- (v) Jhansi - Setting up of coach periodical overhauling and refurbishment workshop costing ₹ 90.98 crore and ₹ 363.91 crore, through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Workshop Including Production Units' for North Central Railway;
- (vi) Investment in National Rail Transport University Foundation, costing ₹ 1 crore under the head 'Investment in non-Government Undertakings including JV/SPVs' for Northern Railway;
- (vii) Power pack with Turbo Super Charger for high horse power locos (50 Nos) at the rate of ₹ 3.59 crore each costing ₹ 179.50 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (viii) Motorized Truck Assembly for high horse power locos (40 Nos) at the rate of ₹ 1.31 crore each costing ₹ 52.40 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (ix) BG crank shaft for high horse power locos (100 Nos) at the rate of ₹ 27 lakh each costing ₹ 27 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (x) High horse power engine crank case (100 Nos) at the rate of ₹ 88 lakh each costing ₹ 88 crore under the head 'Rolling Stock'

- (100 अदद) ;
- (xi) रेलवे बोर्ड के लिए 'चल संपत्ति' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 30 करोड़ की लागत से अधिक हॉर्स पावर इंजनों के लिए ₹ 30 लाख प्रति सेट की दर से माटराइज्ड व्हील सेट्स (100 अदद) ;
- (xii) उत्तर रेलवे के लिए 'कर्षण विभाजन कार्य' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3.48 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में कर्षण सब-स्टेशनों पर 0.2 एस-क्लास करंट/पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मरों सहित 'उपलब्धता आधारित भाड़ा' मीटरों का प्रावधान; और
- (xiii) उत्तर रेलवे के लिए संयुक्त/विशेष प्रयोजन माध्यम संस्थाओं सहित 'गैर-सरकारी उपक्रमों में निवेश' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ की लागत से कौंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी लगाना।
- (xiv) उत्तर मध्य रेलवे हेतु यात्री सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत इलाहाबाद व कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर त्वरित जल प्रदान व्यवस्था का अभिकल्प, आपूर्ति, स्थापना व क्रियान्वयन, लागत ₹ 5.79 करोड़ (विकास निधि के तहत), यात्री सुविधाएं हेतु।
- (xv) वाल्तेरु मंडल के पारलाखेमुंडी-गुनूपुर खंड में ऑप्टिक फाइबर केबल व 6-क्वाड केबल बिछाना, लागत ₹ 3.82 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत), पूर्व तटीय रेलवे हेतु 'सिगनल व दूरसंचार कार्य' शीर्ष के अंतर्गत।
- (xvi) भारतीय रेलों पर भेद्य स्थलों पर रेलवे लाइन के साथसाथ चाहरदीवारी का निर्माण (फेज-2) लागत ₹ 150 करोड़ (राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत), उत्तर रेलवे हेतु 'अन्य विनिर्दिष्ट कार्य' शीर्ष के अंतर्गत।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- for Railway Board;
- (xi) Motorised wheel sets for high horse power locos (100 Nos) at the rate of ₹ 30 lakh each costing ₹ 30 crore under the head 'Rolling Stock' for Railway Board;
- (xii) Provision of 'availability based tariff' meters including 0.2 S-class current/potential transformers at traction sub stations in Uttar Pradesh, costing ₹ 3.48 crore under the head 'Traction Distribution Works' for Northern Railway;
- (xiii) Equity Infusion in Konkan Rail Corporation Limited costing ₹ 100 crore under the head 'Investment in non-Government Undertakings including JV/SPVs' for Northern Railway;
- (xiv) Design, supply, installation and commissioning of quick watering system at Allahabad and Kanpur Central stations costing ₹ 5.79 crore through 'Development Fund' under the head 'Passenger Amenities' for North Central Railway;
- (xv) Laying of optic fibre cable and 6-quad cable in Parlakhemundi-Gunupur section of Waltair Division (51 rkm) costing ₹ 3.82 crore through 'Rashtriya Rail Sanraksha Kosh' under the head 'Signalling & Telecommunication Works' for East Coast Railway; and
- (xvi) Construction of boundary wall along Railway track at vulnerable locations in Indian Railways (Phase-2) costing ₹ 150 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh under the head 'Other Specified Works' for Northern Railway.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 81
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	23153.10	23153.10
पूंजी	Capital	10.00	118170.50	118180.50
जोड़	Total	10.00	141323.60	141333.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	141323.61	141333.61
राजस्व	Revenue	...	23153.10	23153.10
पूंजी	Capital	10.00	118170.51	118180.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- राष्ट्रीय राजमार्ग परस्पर संयोजन सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) के विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों हेतु मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 39 करोड़)।
- एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 129 करोड़)।
- जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 135 करोड़)।
- एनएचआईआईपी की विश्व बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिरूप निधि हेतु मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 56 करोड़)।
- एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिरूप निधि के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 116 करोड़)।
- जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रतिरूप निधि के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़)।
- वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (रा.रा. और राज्यीय सड़कों) के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम हेतु मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- providing additional funds under Major Works for World Bank Externally Aided Schemes of National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (NHIP) (₹ 39 crore).
- providing additional funds under Major Works for the Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 129 crore).
- providing additional funds under Major Works for the Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 135 crore).
- providing additional funds under Major Works for the Counterpart Fund for World Bank Externally Aided Schemes of NHIP (₹ 56 crore).
- providing additional funds under Major Works for the Counterpart Fund for Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 116 crore).
- providing additional funds under Major Works for the Counterpart Fund for Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 100 crore).
- providing additional funds under Major Works for the Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremists Affected Areas (₹ 100 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	183393.17	183393.17
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
जोड़	Total	...	183398.42	183398.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	183398.45	183398.45
राजस्व	Revenue	...	183393.20	183393.20
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खब)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराने हेतु नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 1 करोड़) तथा (ii) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सर्वेक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक लागत जनगणना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 311.25 करोड़); अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को केंद्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के लिए विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Opening of new object head for providing funds under the scheme Management Support to Rural Development programme and Strengthening District Planning Process (₹ 1 crore) and (ii) providing additional funds under the scheme Social Economic Cost Census for BPL Survey (₹ 311.25 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Opening new object head for providing Grants-in-Aid-General to State Government for Central Assistance for Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) (₹ 1 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Opening new object head for providing Grants-in-aid-General to Union Territory Government with Legislature for Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) (₹ 0.01 crore) . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5067.36	5067.38
पूंजी	Capital	...	67.50	67.50
जोड़	Total	0.02	5134.86	5134.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5134.87	5134.89
राजस्व	Revenue	0.02	5067.37	5067.39
पूंजी	Capital	...	67.50	67.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इनके लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के अंतर्गत (₹ 50 करोड़) और (ii) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड हेतु अनुसूचित जनजाति उप-योजना (₹ 6.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। 2. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड हेतु अनुसूचित जनजाति उप-योजना हेतु पूर्णगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General for (i) Science and Engineering Research Board (₹ 50 crore) and (ii) Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board (₹ 6.50 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for Scheduled Tribe Sub- Plan for Science and Engineering Research Board (₹ 3.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2411.53	2411.53
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2411.53	2411.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2411.55	2411.55
राजस्व	Revenue	...	2411.55	2411.55
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के अन्तर्गत अनिवार्य प्रावधान को पूरा करने के लिए (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (1) नए शीर्ष जैव फार्मा मिशन (i) कार्यक्रम घटक (₹ 49.00 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹ 48.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2) नए शीर्ष जैव फार्मा मिशन (i) कार्यक्रम घटक (₹ 49.00 करोड़) तथा (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (₹ 48.50 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting mandatory provision under North Eastern Region (NER) component (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards (1) Grants in Aid General for new head Bio Pharma Mission for (i) Programme Component (₹ 49.00 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹ 48.50 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets for new head Bio Pharma Mission (i) Programme Component (₹ 49 crore) and (ii) Externally Aided Project component (₹ 48.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1839.47	1839.47
पूंजी	Capital	...	421.66	421.66
जोड़	Total	...	2261.13	2261.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	218.60	218.60
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	218.60	218.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2479.73	2479.73
राजस्व	Revenue	...	2058.07	2058.07
पूंजी	Capital	...	421.66	421.66

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(का)	0.01
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport	...	218.59	(खब)	218.59
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	218.60		218.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) चार लेन की सड़क संपर्क परियोजना को पूरा करने के लिए मरमुगांव पत्तन न्यास को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (₹ 4.74 करोड़)।
- (ii) मुंबई और वाईजेग के लिए सागरमाला के अंतर्गत तटीय समुदाय विकास कार्यक्रम के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (₹ 25.04 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत वाराणसी और साहिबगंज में आधुनिक भाड़ा ग्राम विकसित करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (ईएपी घटक - ₹ 218.59 करोड़)।
- इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) release of Grants for creation of Capital Assets to Mormugao Port Trust for completion of Four Lane Connectivity Road Project (₹ 4.74 crore).
- (ii) release of Grants for creation of Capital Assets for Coastal Community Development Programme under Sagarmala for Mumbai and Visakhapatnam (₹ 25.04 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) release of Grants for creation of Capital Assets for developing modern Freight Village at Varanasi and Sahibganj under Jal Marg Vikas Project (EAP Component - ₹ 218.59 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 89
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7342.60	7342.60
पूंजी	Capital	...	407.40	407.40
जोड़	Total	...	7750.00	7750.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	156.50	156.50
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	156.51	156.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7906.51	7906.51
राजस्व	Revenue	...	7499.10	7499.10
पूंजी	Capital	...	407.41	407.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	50.00 (का)	50.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	106.50 (खब)	106.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	156.50	156.50
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	156.51	156.51
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	(-)106.50	(-)106.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. पिछड़े वर्गों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 30 करोड़), 2. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (₹ 10 करोड़), और 3. कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (₹ 50 करोड़)। (ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका ₹ 30 करोड़ (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग योजना के अन्तर्गत नई व्यावसायिक सेवाएं (₹ 3 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इस पर ₹ 50 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ख) राष्ट्रीय वयोश्री योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 106.50 करोड़), (ii) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in Aid General under the scheme 1. Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes (₹ 30 crore), 2. National Overseas scholarship for OBCs (₹ 10 crore), and 3. Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (₹ 50 crore). (ii) Scholarship/Stipend under the scheme Top Class Education for SCs (₹ 30 crore). (iii) New Professional Service under the scheme National Commission for Scheduled Castes (₹ 3 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo. of ₹ 50 crore.

- (b) (i). Grants in Aid General under the scheme of Rasthriya Vayoshri Yojana (₹ 106.50 crore). (ii). Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institute of Social Defence (₹ 10 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of

- (ग) प्राप्त ₹ 106.50 करोड़ को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि स्कीम के अंतर्गत निवेश के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (c)

the grant and ₹ 106.50 crore met from Senior Citizens Welfare Funds, this will not entail any additional cash outgo. Additional fund requirement for Investment under the Scheme Venture Capital Fund for Schedule Castes (₹ 20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5495.58	5496.18
पूंजी	Capital	0.40	5286.84	5287.24
जोड़	Total	1.00	10782.42	10783.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	10782.44	10783.44
राजस्व	Revenue	0.60	5495.59	5496.19
पूंजी	Capital	0.40	5286.85	5287.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01	(का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) इनके व्यय को पूरा करने के लिए (i) परियोजना की भुगतान की तय मात्रा के अनुसार रमन अनुसंधान संस्थान (आर.आर.आई.) हेतु निधियां जारी करने के लिए इसरो उपग्रह केन्द्र (आइसैक) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.40 करोड़) और सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) तथा वेफर फैब सुविधा हेतु एमसी व्यय के लिए (₹ 65.00 करोड़) और वर्ष 2018-19 हेतु परिकल्पित पूंजीगत मदों के स्थगित भुगतान एवं खरीद के लिए सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 170 करोड़) और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के उन्नत पेटास्केल कम्प्यूटिंग प्रणाली के विकास के लिए (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) नई अनुमोदित परियोजनाओं के अन्य पूंजीगत व्यय शीर्षों के तहत व्यय पूरा करने के लिए अर्थात् जीएसएलवी., एम के 111 सतत कार्यक्रम (चरण-1) (₹ 150 करोड़), पीएसएलवी सतत कार्यक्रम (चरण-6) (₹ 300 करोड़), लघु उपग्रह प्रक्षेपक व्हिक्ल (एसएसएलवी) विकास (₹ 15 करोड़) जीएसएटी-29 उपग्रह (₹ 50 करोड़) और जीएसएटी 30/31/32 उपग्रह (₹ 145 करोड़) भारतीय चन्द्र मिशन - चन्द्रयान 1 और 2 हेतु बाह्य नेटवर्क सहायता (₹ 20 करोड़), उन्नत संचार उपग्रह (जी सेट -11) के माल भाड़ा एवं बीमा प्रभार जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं (₹ 46 करोड़) जीएसएलवी (प्रचालनात्मक) परियोजना (₹ 101 करोड़) एवं सेमी क्रायोजेनिक चरण विकास परियोजना (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) Grant-in-aid General of ISRO Satellite Centre (ISAC) towards release of funds for Raman Research Institute (RRI) (₹ 3.40 crore) as per the payment milestones of the Project and Semi-Conductor Laboratory (SCL) and towards AMC expenses for Wafer Fab facility (₹ 65 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets of Semi-Conductor Laboratory (SCL) towards spill over payments & procurement of capital items envisaged for the year 2018-2019 (₹ 170 crore) and National Atmospheric Research Laboratory (NARL) (₹ 15 crore) towards development of advanced petascale computing system.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure under the head 'Other Capital Expenditure' of newly approved Projects viz., GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 150 crore), PSLV Continuation Programme (Phase-6) (₹ 300 crore), Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Development (₹ 15 crore), GSAT-29 Satellite (₹ 50 crore) and GSAT-30/31/32 Satellites (₹ 145 crore), external network support for Indian Lunar Mission-Chandrayaan-1&2 (₹ 20 crore), freight and insurance charges of Advanced Communication Satellite (GSAT-11) including launch services (₹ 46 crore), GSLV (Operational) Project (₹ 101 crore) & Semi-cryogenic Stage Development Project (₹ 50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4844.00	4844.00
पूंजी	Capital	...	15.00	15.00
जोड़	Total	...	4859.00	4859.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4859.02	4859.02
राजस्व	Revenue	...	4844.02	4844.02
पूंजी	Capital	...	15.00	15.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme	...	0.01 (का)	0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एमपीएलएडी के तीसरे पक्ष की मानीटरिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सेवाओं हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) अनुसंधान, अध्ययन, आयोजित कराने वाले सेमिनार/सम्मेलन/वर्कशाप कराने के लिए पात्र संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'क्षमता विकास योजना' हेतु सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.32 करोड़)।
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards 'Professional Services' for meeting requirement of third party monitoring of MPLADs (₹ 5 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 'Grant-in-aid - General' for 'Capacity Development Scheme' for providing financial assistance to eligible institutions/organizations for conducting research study, organising seminar/conference/workshop (₹ 0.32 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47.90	47.90
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	47.90	47.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	47.91	47.91
राजस्व	Revenue	...	47.91	47.91
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इस्पात जनरल हस्पताल, राउरकेला का उन्नयन स्पर स्पेशियलिटी हस्पताल एवं मेडिकल कालेज में करने के लिए प्रयोजन शीर्ष 'पूजीगत आस्तियों' के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional requirement of ₹ 10 crore under the object head "Grants for Creation of Capital Assets" for upgradation of Ispat General Hospital, Rourkela to a super speciality hospital and medical college.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	7109.84	7109.84
पूंजी	...	37.89	37.89
जोड़	...	7147.73	7147.73
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	7109.84	7109.84
Capital	...	37.89	37.89
Total	...	7147.73	7147.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	1500.02	1500.02
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	1500.03	1500.03
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	...	1500.02	1500.02
Capital	...	0.01	0.01
Total	...	1500.03	1500.03
जोड़ (मूल और पूरक)	...	8647.76	8647.76
Total (Original plus Supplementary)	...	8647.76	8647.76
राजस्व	...	8609.86	8609.86
पूंजी	...	37.90	37.90
Capital	...	37.90	37.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	...	0.01 (क)	0.01	
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	...	0.01 (ख)	0.01	
2852-उद्योग	...	1500.00 (ग)	1500.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	...	1500.02		1500.02
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (घ)	0.01	
जोड़ (पूरक)	...	1500.03		1500.03
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01	
2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख)	0.01	
2852-Industries	...	1500.00 (ग)	1500.00	
Total (Revenue Section)	...	1500.02		1500.02
CAPITAL SECTION				
MAJOR HEAD				
4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01 (घ)	0.01	
Total (Supplementary)	...	1500.03		1500.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) मानव संसाधन विकास स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(a)	(i) Meeting additional requirement of ₹ 1.50 crore as Grants-in-Aid General in Human Resource Development Scheme.
	(ii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		(ii) Meeting additional requirement of ₹ 1.00 crore as Grants-in-Aid General in National Handloom Development Programme.
	(iii) धागा आपूर्ति स्कीम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		(iii) Meeting additional requirement of ₹ 5.00 crore as Grants-in-Aid General in Yarn Supply Scheme.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में ₹ 0.50 करोड़ (ii) प्रशिक्षण एवं विस्तार में वेतन के रूप में ₹ 3.50 करोड़ (iii) मानव संसाधन विकास में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 3.20 करोड़ (iv) हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर में व्यावसायिक सेवा के रूप में ₹ 0.50 करोड़ (v) डीसी (हस्तशिल्प) के संग्रहालय कार्यालय में वेतन के रूप में ₹ 2.00 करोड़ (vi) घरेलू यात्रा व्यय के रूप में ₹ 0.10 करोड़ और पावर टेक्स इंडिया स्कीम में अन्य प्रभारों के रूप में ₹ 0.10 करोड़ (vii) डीसी (हस्तशिल्प) का कार्यालय में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 2.00 करोड़ (viii) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 4.85 करोड़ और अभिकल्प एवं तकनीकी उन्नयन स्कीम में अन्य प्रभार के रूप में ₹ 0.15 करोड़ (ix) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 4.00 करोड़ और मानव संसाधन विकास में अन्य प्रभार के रूप में ₹ 1.00 करोड़ (x) विज्ञापन एवं प्रचार के रूप में ₹ 0.30 करोड़ और हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम में अन्य प्रभार के रूप में ₹ 2.00 करोड़ (xi) विज्ञापन एवं प्रचार के रूप में ₹ 0.10 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 0.80 और अनुसंधान एवं विकास स्कीम में अन्य प्रभारों के रूप में ₹ 0.10 करोड़ (xii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में ₹ 9.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b)	(i) ₹ 0.50 crore as Information Technology in Office of Development Commissioner of Handloom. (ii) ₹ 3.50 crore as Salaries in Training & Extension. (iii) ₹ 3.20 crore as Grants in-aid General in Human Resource Development. (iv) ₹ 0.50 crore as Professional Service in Handicrafts Mega Cluster. (v) ₹ 2.00 crore as Salaries in Museum Office of DC (Handicrafts). (vi) ₹ 0.10 crore as Domestic Travel Expenses and ₹ 0.10 crore as Other Charges in Power Tex India Scheme. (vii) ₹ 2.00 crore as Grants-in-aid General under Human Resource Development in Office of DC (Handicrafts). (viii) ₹ 4.85 crore as Grants in-aid General and ₹ 0.15 crore as Other Charges in Design and Technical Up-gradation Scheme. (ix) ₹ 4.00 crore as Grants in-aid General and ₹ 1.00 crore as Other Charges in Human Resource Development. (x) ₹ 0.30 crore as Advertising and Publicity and ₹ 2.00 as Other Charges in Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme. (xi) ₹ 0.10 crore as Advertising and Publicity, ₹ 0.80 crore as Grants in-aid General and ₹ 0.10 crore as Other Charges in Research and Development Scheme. (xii) ₹ 9.25

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- | | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ग) | (i) | राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभागों के रूप में ₹ 1500.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त में निवल नकद व्यय होगा; | (c) | (i) | Meeting additional requirement of ₹ 1500.00 crore as Other Charges under Remission of State Levies (RoSL) Scheme. The above expenditure will entail a net cash outgo; |
| (घ) | | अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना स्कीम में मुख्य कार्यों के रूप में ₹ 9.37 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। | (d) | | Meeting additional requirement of ₹ 9.37 crore as Major Works in Infrastructure & Technology Development Project Scheme. |

crore as Grants in-aid General in National Handloom Development Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of ₹ 1500.00 crore as Other Charges under Remission of State Levies (RoSL) Scheme.

The above expenditure will entail a net cash outgo;

Meeting additional requirement of ₹ 9.37 crore as Major Works in Infrastructure & Technology Development Project Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2149.99	2149.99
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2150.00	2150.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2150.01	2150.01
राजस्व	Revenue	...	2150.00	2150.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत विविध खर्चों के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 0.50 करोड़); (ii) तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान' (प्रसाद) स्कीम के अंतर्गत स्कीम संबंधी विविध खर्चों को लेखाबद्ध करने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 0.50 ; (iii) 'निर्देशन और प्रशासन (स्थापना)' स्कीम के अंतर्गत नए कार्यालय भवन के किराए, दर और करों को लेखाबद्ध करने के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 6 करोड़) ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Opening of new object head for miscellaneous expenses under the scheme 'Swadesh Darshan' (₹ 0.50 Crore); (ii) Opening of new object head for booking scheme related miscellaneous expenses under the scheme 'Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive' (PRASAD) (₹ 0.05 Crore); (iii) Opening of new object head for booking of Rent, Rate and Taxes of new office building under the scheme 'Direction and Administration (Establishment)' (₹ 6 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4935.92	999.08	5935.00
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
जोड़	Total	4935.92	1064.08	6000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4935.93	1064.09	6000.02
राजस्व	Revenue	4935.93	999.09	5935.02
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (क) संविधान के अनुच्छेद 275 के परतुंग के अन्तर्गत स्वच्छता कार्य योजना अनुदान (₹ 40 करोड़) जनजाति उपयोग को विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 52 करोड़) और (ख) लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Grant-in-Aid General under the scheme Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 25 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grant for Creation of Capital Asset under the scheme (a) Swachhta Action Plan; Grants under proviso to Article 275 (1) of the Constitution" (₹ 40 crores), Special Central Assistance to Tribal Sub Schemes (₹ 52 crore) and (b) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹ 30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:				
राजस्व	Revenue	1.00	8188.51	8189.51
पूंजी	Capital	0.01	730.87	730.88
जोड़	Total	1.01	8919.38	8920.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.01	8919.43	8920.44
राजस्व	Revenue	1.00	8188.55	8189.55
पूंजी	Capital	0.01	730.88	730.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	0.01	(का)	0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	...	0.01	(खब)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	...	0.01	(ग)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01	(घ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.04		0.04
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	0.01	(डे)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	0.05		0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

		The supplementary Grants are required for:
(क) महानदी जल विवाद अधिकरण के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए नया लेखा शीर्ष खोलना (₹ 4.32 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	opening of new head of accounts for meeting establishment expenditure in respect of Mahanadi Water Disputes Tribunal (₹ 4.32 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत नया लेखा शीर्ष खोलना (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	opening of new head of accounts for meeting expenditure under various heads for National Water Informatics Centre (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) राष्ट्रीय गंगा नदी प्रवाह क्षेत्र प्राधिकरण (ईएपी घटक) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 66 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 634 करोड़) की निर्मुक्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	release of Grants-in-aid General (₹ 66 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 634 crore) to National Ganga River Basin Authority (EAP Component). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) विधर्ब और मराठवाडा के जिलों और महाराष्ट्र के अन्य सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि संबंधी दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज के रूप में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (₹ 900 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	release of Grants for creation of Capital Assets as Special package for irrigation projects to address agrarian distress in districts of Vidharba and Marathawada and other chronically drought prone areas of Maharashtra (₹ 900 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड) राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र के लिए बड़े निर्माणों और मशीनरी एवं उपस्कर पर व्यय को पूरा करने के लिए नया शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	opening of new head of accounts for meeting expenditure on 'Major Works' and 'Machinery & Equipments' for National Water Informatics Centre (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिये)

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>	
	<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25199.99	25199.99
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	25200.00	25200.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	27.00	27.00
जोड़	Total	...	27.04	27.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	25227.04	25227.04
राजस्व	Revenue	...	25200.03	25200.03
पूँजी	Capital	...	27.01	27.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	<i>भारित</i>	<i>स्वीकृत</i>	<i>जोड़</i>	
	<i>Charged</i>	<i>Voted</i>	<i>Total</i>	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	27.00 (डे)	27.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	27.04	27.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इन स्कीमों के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (₹ 14.91 करोड़) 2. केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (₹ 1.80 करोड़) 3. एकल केन्द्र (₹ 75.63 करोड़) 4. बाल संरक्षण योजना (₹ 97.30 करोड़) और 5. विधवा गृह (₹ 0.05 करोड़) (ii) एकल केन्द्र के अन्तर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 105.27 करोड़) (iii) इस स्कीम के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान 1. राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीडी) (₹ 4.75 करोड़) और 2. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी (₹ 2.45 करोड़) (iv) किशोरी स्कीम के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.25 करोड़) और राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम घटक स्कीम के तहत किराया दर, और कर (₹ 1.15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) एकल केन्द्र स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.27 करोड़) (ii) एकल केन्द्र स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10.53 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) विधवा गृह स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.94 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) विधवा गृह स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under the schemes - 1. Central Social Welfare Board (₹ 14.91 crore), 2. Central Adoption Resources Agency (₹ 1.80 crore), 3. One Stop Centre (₹ 75.63 crore), 4. Child Protection Scheme (₹ 97.30 crore) and 5. Home for Widows (₹ 0.05 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One stop centre (₹ 105.27 crore). (iii) Grants-in-Aid Salary under the scheme 1. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 4.75 crore), and 2. Central Adoption Resources Agency (₹ 2.45 crore), (iv) Professional Services under the Scheme for Adolescent Girls (₹ 0.25 crore) and Rent, Rate and Taxes under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component (₹ 1.15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General under the schemes One Stop Centre (₹ 6.27 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop centre (₹ 10.53 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows (₹ 7.94 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) Grants-in-aid General under the scheme Home for Widows (₹ 0.01

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ड) राष्ट्रीय पोषण मिशन-कार्यक्रम घटक के अंतर्गत मुख्य कार्य पोषण संबंधी एकीकृत मिशन (27 करोड़)। (e)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the scheme National Nutrition Mission-Programme Component (Integrated Education in Nutrition (₹ 27 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	2138.31
पूंजी	Capital	...	58.04
जोड़	Total	...	2196.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2196.37
राजस्व	Revenue	...	2138.33
पूंजी	Capital	...	58.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2204-खेल और युवा मामले	...	0.01	(क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 1 करोड़), (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 141.95 करोड़), (3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 14.82 करोड़) और (4) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 6.98 करोड़) और (5) भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियम नवीनीकरण-राष्ट्रमंडल खेल 2010 (₹ 163 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 0.40 करोड़), (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 123.43 करोड़), (3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 5.39 करोड़) और (4) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 44.08 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iii) इस स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 11.35 करोड़), (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 2.50 करोड़), (3) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 35.55 करोड़) और (4) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 3.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 42.65 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) GIA General under the scheme (1) National Anti-Doping Agency (₹ 1 crore), (2) Sports Authority of India (₹ 141.95 crore), (3) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 14.82 crore), and (4) Nehru Yuva Kendra Sanghathan (₹ 6.98 crore) and (5) SAI Stadia Renovation-CWG 2010 (₹ 163 crore). (ii). GIA Salary under the scheme (1) National Anti-Doping Agency (₹ 0.40 crore), (2) Sports Authority of India (₹ 123.43 crore), (3) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 5.39 crore), and (4) Nehru Yuva Kendra Sanghathan (₹ 44.08 crore). (iii). Grants for Creation of Capital Asset under the scheme (1) Sports Authority of India (₹ 11.35 crore), (2) National Dope Test Laboratory (₹ 2.50 crore), (3) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 35.55 crore), and (4) Nehru Yuva Kendra Sanghathan (₹ 3.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in Aid General under the scheme of Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 42.65 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.